
परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग क
(सन्दर्भ: कंडिका- 1.1; पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय						
ए. सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण				आँकड़ा	
1	क्षेत्रफल				79,714 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	क.	2001 के जनगणना के अनुसार			2.69 करोड़	
	ख.	2010-11			3.30 करोड़	
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) ² 2011-12 (अखिल भारतीय औसत = 21.9%)				36.90 प्रतिशत	
5	क.	साक्षरता ³ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80%)			44 प्रतिशत	
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73%)			66.40 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 33 प्रति 1000 जीवित जन्म)				32	
7	मानव विकास सूचकांक ⁵					
	क.	2017 (अखिल भारतीय = 0.643)			उपलब्ध नहीं	
	ख.	2018 (अखिल भारतीय = 0.647)			उपलब्ध नहीं	
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2018-19 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				₹ 3,07,581 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2018-19)			झारखण्ड	8.92 प्रतिशत	
				सामान्य श्रेणी राज्य	10.99 प्रतिशत	
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर.(2011-12 से 2018-19) ⁶			झारखण्ड	10.71 प्रतिशत	
				सामान्य श्रेणी राज्य	12.23 प्रतिशत	
11	जनसंख्या वृद्धि ⁷ (2009 से 2019)			झारखण्ड	13.80 प्रतिशत	
				सामान्य श्रेणी राज्य	12.46 प्रतिशत	
ख. वित्तीय आँकड़ा ⁴						
क्र.सं.	विवरण			आँकड़े (प्रतिशत में)		
				सी.ए.जी.आर.		
			2009-10 से 2017-18	2017-18 से 2018-19		
			सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
1	क	राजस्व प्राप्तियों का	15.03	16.91	12.77	6.44
2	ख	कर राजस्व का	14.84	16.24	12.72	15.41
3	ग	गैर कर राजस्व का	9.88	16.87	19.78	5.24
4	घ	कुल व्यय का	14.20	17.23	12.73	(-)2.98
5	ङ	पूँजीगत व्यय का	13.53	20.42	11.93	(-)10.38
6	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	13.44	11.36	9.38	(-)3.05
7	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	19.82	11.09	22.52
8	ज	वेतन एवं मजदूरी का	11.72	9.72	11.03	8.17
9	झ	पेंशन का	16.12	17.03	14.31	1.32

¹ सेंसस इण्डिया 2011 अंतिम कुल जनसंख्या

² आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19, (भाग II), पृष्ठ ए 168-169, तालिका 9.8

³ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19, (भाग II), पृष्ठ ए 164, तालिका 9.4

⁴ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19, (भाग II), पृष्ठ ए 160, तालिका 9.1

⁵ एच.डी.आई.: मानव विकास प्रतिवेदन 2019 यू.एन.डी.पी.द्वारा प्रकाशित

⁶ दिनांक 01.08.2019 को एस.पी.आई. मंत्रालय वेबसाइट से डाउनलोड किया गया स.रा.घ.उ. एवं प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.

⁷ भारत की जनगणना 2001 (जनसंख्या प्रोजेक्सन 2001-2026, तालिका 14, पृष्ठ 104 से 115)

परिशिष्ट 1.1 भाग ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ : कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।

भाग I : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।

भाग-II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

भाग-III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।

भाग-ग : वित्त लेखे का अभिन्यास

विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशीकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष हैं, जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरणी-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2018-19 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2019 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2018-19 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2
वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2017-18			2018-19	2017-18		2018-19			
	भाग - क: राजस्व					स्थापना	राज्य एवं केंद्र योजना	कुल	
52,756.03	I. राजस्व प्राप्तियाँ		56,151.70	50,952.07	I. राजस्व व्यय	26,647.59	23,983.14	50,630.73	50,630.73
12,353.44	कर राजस्व		14,752.07	16,558.33	सामान्य सेवाएँ	16,984.42	671.24	17,655.66	
				19,574.97	सामाजिक सेवाएँ	6,567.50	12,218.53	18,786.03	
7,846.67	कर-भिन्न राजस्व		8,257.98	7,965.74	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	4,839.19	3,004.83	7,844.02	
				2,548.72	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,034.69	2,088.31	3,123.00	
21,143.63	संघीय करों में राज्य के हिस्से		23,906.13	4,683.77	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	296.44	3,002.65	3,299.09	
1,583.03	गैर-योजना अनुदान	वित्त आयोग अनुदान	1,059.89	185.66	सूचना एवं प्रसारण	102.14	57.91	160.05	
1,844.02	राज्य योजना हेतु अनुदान	राज्य को अन्य अनुदान	1,178.78	1,084.97	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	155.45	991	1146.45	
7,985.24	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6,996.85	110.90	श्रम एवं श्रम कल्याण	61.01	57.04	118.05	
				2,963.61	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	46.82	3,016.79	3,063.61	
				31.60	अन्य	31.76	0	31.76	
				14,818.77	आर्थिक सेवाएँ	3,095.67	11,093.37	14,189.04	
				2,016.85	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	638.53	1,150.97	1,789.50	
				6,044.87	ग्रामीण विकास	535.04	6,896.59	7,431.63	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	
				398.19	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	393.33	6.09	399.42	
				4,530.12	उर्जा	1,094.95	1,595.27	2,690.22	
				264.83	उद्योग एवं खनिज	67.96	276.59	344.55	
				530.93	परिवहन	257.85	129	386.85	
				0	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0	
				1,032.98	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	108.01	1,038.86	1,146.87	
				0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	
				50,952.07	कुल	26,647.59	23,983.14	50,630.73	

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2017-18			2018-19	2017-18		2018-19			
0.00	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा			1,803.96	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				5,520.97
52,756.03	कुल		56,151.70	52,756.03	कुल				56,151.70
खण्ड ख									
1,947.85	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		550.44*	0	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष				0
25.09	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		0	11,952.71	IV. पूँजीगत परिव्यय	42.30	10,669.41	10,711.71	10,711.71
				807.11	सामान्य सेवाएँ	40.28	750.76	791.04	
				1,528.07	सामाजिक सेवाएँ	0.88	1,614.57	1,615.45	
				360.27	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0.63	355.75	356.38	
				309.49	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.25	273.14	273.39	
				532.20	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0	566.82	566.82	
				10.90	सूचना एवं प्रसारण	0	12.83	12.83	
				265.29	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0	394.59	394.59	
				16.53	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0	0	0	
				33.39	अन्य	0	11.44	11.44	
				9,617.53	आर्थिक सेवाएँ	1.14	8,304.08	8,305.22	
				607.33	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0	390.34	390.34	
				2,092.79	ग्रामीण विकास	0	2,460.87	2,460.87	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	
				1,689.15	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0	1,476.46	1,476.46	
				0	ऊर्जा	0	0	0.00	
				15.50	उद्योग और खनिज	0	6.50	6.50	

वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार										
प्राप्तियाँ				संवितरण						
2017-18			2018-19	2017-18		2018-19				
				5,141.76	परिवहन	0	3,870.54	3,870.54		
				71.00	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1.14	99.37	100.51		
42.41	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		47.57	1,851.67	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	72.50	1,413.09	1,485.59	1,485.59	
0	ऊर्जा परियोजनाओं से	0		1,760.67	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0	1,413.09	1,413.09		
40.89	सरकारी सेवकों से	47.07		55.59	सरकारी सेवकों को	46.88	0	46.88		
1.52	अन्य से	0.50		35.41	अन्य को	25.62	0.00	25.62		
1,803.96	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		5,520.97	0	VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा	0	0	0	0	
8,136.85	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		7,803.43	2,949.50	VII. लोक ऋण की वापसी					3,060.10
0	वाह्य ऋण	0			वाह्य ऋण					
7,905.24	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	7,530.52		2,788.46	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण				2,893.42	
0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन				0	
0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0		0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन				0	
231.61	केंद्र सरकार से ऋण व अग्रिम	272.91		161.04	केंद्र सरकार को ऋण व अग्रिम की वापसी				166.68	
0	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग				VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग					
0	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0		IX. आकस्मिकता निधि से व्यय					
27,833.30	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		25,409.79	22,885.14	X. लोक लेखा संवितरण					23,279.41
1,016.43	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1,120.04		949.91	छोटे बचत एवं भविष्य निधि				1,051.11	
401.00	रक्षित निधि	421.00		109.17	रक्षित निधि				41.95	
(-)163.21	उचंत एवं विविध	38.72		61.00	उचंत एवं विविध				(-)87.99	

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2017-18			2018-19	2017-18		2018-19			
10,558.88	प्रेषण	1,0647.59		10,466.40	प्रेषण			10,587.99	
16,020.20	जमा एवं अग्रिम	13,182.44		11,298.66	जमा एवं अग्रिम			11,686.35	
0	अंतर्राज्यीय समायोजन		0	0	अंतर्राज्यीय समायोजन			0	
	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष		0	150.44	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष			395.39	795.39
				0	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण			0	
				-242.16	रिजर्व बैंक में जमा			188.30	
				38.04	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			39.19	
				0	चिन्हित निधि का निवेश			400.00	
				354.56	रोकड़ शेष का निवेश			167.90	
92,545.49	कुल		95,483.90	92,545.49	कुल			95,483.90	

*वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 23.07.2019 की पत्र सं.- 554 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिवेदन में राज्य आपदा कोष में ₹ 400 करोड़ के निवेश सहित संशोधित

परिशिष्ट 1.3
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कडिका 1.3 व 1.9.2; पृष्ठ 11 एवं 34)

(₹करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	31,565(83)	40,638(75)	47,054(87)	52,756(87)	56,152(88)
(i) कर राजस्व	10,350(33)	11,478(28)	13,299(28)	12,353(23)	14,752(23)
वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	4124(34)	8201(56)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,070(78)	8,999(78)	10,549(80)	5,715(46)	3,475(24)
राजस्व उत्पाद	740(7)	912(8)	962(7)	841(7)	1,083(7)
वाहनों पर कर	660(6)	633(6)	682(5)	779(6)	864(5)
मूद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	531(5)	532(5)	607(5)	469(4)	451(3)
भू-राजस्व	84(1)	164(1)	240(2)	156(1)	389(3)
माल एवं यात्रियों पर कर	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
अन्य कर	264(3)	237(2)	259(2)	270(2)	289(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	4,335(14)	5,853(14)	5,351(11)	7,847(15)	8,258(15)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	9,487(30)	15,969(39)	19,142(41)	21,144(40)	23,906(43)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,393(23)	7,338(18)	9,262(20)	11,412(22)	9,236(16)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	25	0
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	33	31	38	42	47
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	31,598	40,669	47,092	52,824	56,199
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,690(17)	13,245(25)	7,081(13)	8,137(13)	7,804(12)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	6,537	13,080	6,847	7,905	7,531
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	153	165	234	232	273
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	38,288	53,914	54,174	60,960	64,002
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	20,189	29,037	22,052	27,833	25,410
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	58,477	82,951	76,225	88,794	89,412
भाग - ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	31,795(83)	36,553(70)	45,088(79)	50,952(79)	50,631(81)
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	12,436(39)	15,793(43)	22,193(49)	22,999(45)	23,983(47)
गैर योजना/स्थापना	19,359(61)	20,760(57)	22,895(51)	27,953(55)	26,648(53)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	10,624(33)	12,002(33)	13,024(29)	16,558(32)	17,656(35)
सामाजिक सेवाएँ	11,915(37)	14,844(41)	18,557(41)	19,575(39)	18,786(37)
आर्थिक सेवाएँ	9,256(29)	9,707(26)	13,507(30)	14,819(29)	14,189(28)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11. पूँजीगत व्यय	5,543(15)	8,159(16)	10,861(19)	11,953(18)	10,712(17)
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	5,520(100)	8,087(99)	10,814(99)	11,884(99)	10,669(99)
गैर योजना/स्थापना	23(0)	72(1)	47(1)	69(1)	42(1)

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सामान्य सेवाएँ	326(6)	571(7)	590(6)	807(7)	791(7)
सामाजिक सेवाएँ	910(16)	1,024(13)	1,532(14)	1,528(13)	1,615(15)
आर्थिक सेवाएँ	4,307(78)	6,564(80)	8,739(80)	9,618(80)	8,305(78)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	824(2)	7480⁸(14)	1,335(2)	1,852(3)	1,485(2)
13. कुल व्यय(10+11+12)	38,162	52,192	57,284	64,756	62,828
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	1,880	2,246	2,078	2,950	3,060
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,722(92)	2,079(93)	1,920(92)	2,788(95)	2,893
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	158(8)	167(7)	158(8)	161(5)	167
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	40,042	54,438	59,362	67,706	65,888
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	0	0	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	19,277	27,053	16,820	22,885	23,279
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	59,319	81,491	75,851	90,591	89,167
भाग - ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	(-230)	4,085	1,966	1,804	5,521
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	(-6,564)	(-11,523⁹)	(-10,192)	(-11,933)	(-6,629)
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21-23)	(-3,635)	(-8,203)	(-6,020)	(-7,271)	(-1,777)
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	2,929	3,320	4,172	4,662	4,852
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	12,404	14,891	20,332	20,714	17,976
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	-	0	3	7	68
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	-	0	3	7	58
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	0	0	0	10
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	0	0	0.21	6.23
27. (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	2,18,525	2,06,613	2,36,250	2,76,243	3,07,581
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	1,86,534	1,74,881	1,94,475	2,03,358	2,32,821
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	43,569	56,530	66,827	77,095	83,783

⁸ उदय बॉण्ड पर राज्य की उधार राशियों से दिये गये ₹ 5,553 करोड़ की राशि का ऋण सम्मिलित है।

⁹ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटे की राशि कम हो जायेगी।

29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	157	157	157	607
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	157	157	157	450
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	402	195	280	113	410
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	1,824	2,089	4,778	1,403	3,841
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.74	5.56	5.63	4.47	4.80
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.55	6.56	6.88	5.68	6.34
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.0	2.8	2.3	2.8	2.7
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.32	3.35	2.77	3.61	3.55
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.34	7.73	8.10	7.65	7.77
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.96	4.20	4.79	5.24	3.97
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	17.46	25.26	24.25	23.44	20.43
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	20.46	29.84	29.65	29.76	26.99
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	120.9	128.4	121.7	122.7	111.89
राजस्व व्यय/कुल व्यय	83.3	70.0	78.7	78.7	80.59
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	33.7	30.5	35.2	32.6	32.51
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	37.6	45.3	41.0	40.5	38.13
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.5	15.6	19.0	18.5	17.05
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	13.7	14.5	17.9	17.2	15.79
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)0.11	1.98	0.83	0.65	1.79
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)0.12	2.34	1.02	0.83	2.37
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)3.00	(-)5.58	(-)4.31	(-)4.32	(-)2.16
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)3.52	(-)6.59	(-)5.28	(-)5.48	(-)2.85
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)1.66	(-)3.97	(-)2.55	(-)2.63	(-)0.58
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)1.95	(-)4.69	(-)3.12	(-)3.34	(-)0.76

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स.रा.घ.उ.					
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-)3.5	(-)35.5	(-)19.3	(-)15.1	(-)83.29
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.25	2.60	2.61	2.37	3.39
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.46	4.25	3.20	3.00	4.48
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	19.94	27.36	28.29	27.91	27.24
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	23.36	32.32	34.59	35.43	35.99
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	138.03	139.1	142.0	146.1	149
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(-)376	(-)13,468	(-)1,734.91	(-)288.19	2,315.52
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	*
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	6,593	14,226	16,773	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	103	109	111	111	118
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	20	43	47	31.7	23
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	787	7,388	1,236	1,764.4	1,416
परिसंपत्तियाँ		57,153	67,419	77,635	84,382
दायित्व		62,291	74,522	86,542	99,210

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये ।

(http://mओ.एस.पी.i.nic.in/Mओ.एस.पी.i_New/site/inner.asp?statis=3&menu_id=82).

* ₹ 15,000 मात्र

परिशिष्ट 1.4 भाग - क
74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कडिका 1.6.5.1; पृष्ठ 25)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़कें व पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशमन सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण
10	मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्मूलन
12	शहरी सुख सुविधाओं एवं सहूलियतों यथा पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; दाह संस्कार, श्मशान घाट तथा विद्युत् शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, पशुओं पर क्रूरता का रोकथाम
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, बस पड़ाव व जन सुविधाओं सहित लोक सुविधाएँ
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.4 भाग-ख

73^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यकलापों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.2; पृष्ठ 26)

क्र.सं.	कार्यकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि विस्तारण सहित कृषि	आंशिक
2	भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन एवं आच्छादन विकास	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्राम व कुटीर उद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौका जलमार्ग एवं यातायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत	नहीं
16	निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम	आंशिक
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय समेत शिक्षा	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पतालों, औषधालयों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	विकलांगों एवं मंदबुद्धि कल्याण सहित सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग विशेषकर अ.जा. एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव	आंशिक

परिशिष्ट 1.5
31 मार्च 2019 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कडिका 1.9.1; पृष्ठ 33)

(₹ करोड़ में)

31.03.2018 को	दायित्व	31.03.2019 को
53,799.09	आंतरिक ऋण	58,436.19
33,087.68	ब्याज वाले बाजार ऋण	37,110.68
0.07	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.07
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30
11,622.17	अन्य संस्थाओं से ऋण	12,993.27
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
9,082.87	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	8,325.87
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
2,232.86	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,339.07
0	1984-85 के पूर्व के ऋण	0
17.57	गैर योजना ऋण	15.79
2,215.29	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2,323.28
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
1,142.18	लघु बचत भविष्य निधि	1,211.11
18,369.87	जमा	19,866.47
1,551.04	रक्षित निधि	1,930.09
39.68	अंतरण शेष	99.27
0	उचत एवं विविध शेष	0
8,907.21	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	14,828.18
86,541.93	कुल	99,210.38
	परिसम्पत्तियाँ	
66,961.60	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	77,673.31
275.15	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	331.19
66,686.45	अन्य पूँजीगत परिव्यय	77,342.12
0	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0
19,291.97	ऋण एवं अग्रिम	20,730.00
18,444.20	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	19,857.29
823.36	अन्य विकास ऋण	848.49
24.41	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	24.22
5.78	अग्रिम	6.28
132.14	उचत एवं विविध शेष	5.41
150.44	नकद	795.38
0	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0
(-)242.16	रिजर्व बैंक में जमा	188.30
0	जमा निधि का निवेश	400.00*
38.04	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	39.18
354.56	नकद शेष निवेश	167.90
0	प्रेषण शेष	0

0.00	सरकारी लेखे में घटा		0.00
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य		
86,541.93	कुल		99,210.38

*वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 23.07.2019 की पत्र सं.- 554 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिवेदन में राज्य आपदा कोष में ₹ 400 करोड़ के निवेश सहित संशोधित

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणी

उक्त विवरणियों में दिये गये संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे की टिप्पणियों व व्याख्याओं के साथ पठित हैं। सरकारी लेखे जो मुख्यतः नकद आधारित हैं, सरकारी लेखा में घाटा, जैसा कि **परिशिष्ट 1.4 भाग ख** में दर्शाया गया है, स्थिति को वाणिज्यिक लेखांकन के उपार्जन आधार के विपरीत नकद आधार पर इंगित करता है। अतएव, भुगतये या प्राप्य मद अथवा हास या भंडार आँकड़ों में विचलन आदि, जैसे मद लेखाओं में अंकित नहीं किये जाते हैं। उचंत व विविध शेषों में निर्गत मगर भुगतान नहीं हुए चेक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान और अन्य लंबित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 10 करोड़ और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक रहा
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व दत्तमत					
1	1	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,601.21	847.79	52.95
2	2	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	389.14	218.15	56.06
3	3	भवन निर्माण विभाग	134.01	41.34	30.85
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	62.75	13.46	21.45
5	9	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	241.08	81.03	33.61
6	10	ऊर्जा विभाग	4,206.48	1,464.37	34.81
7	12	योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	64.17	15.78	24.59
8	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,375.70	348.70	25.35
9	19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	770.39	245.32	31.84
10	21	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,246.69	344.44	27.63
11	23	उद्योग विभाग	458.94	150.85	32.87
12	26	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	245.19	78.56	32.04
13	29	खान एवं भूतत्व विभाग	83.45	41.59	49.84
14	35	योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	886.46	326.59	36.84
15	36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,820.13	454.96	25.00
16	39	गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	908.14	437.81	48.21
17	40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	603.53	121.29	20.10
18	41	सड़क निर्माण विभाग	459.92	204.64	44.49
19	42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6,273.10	2,084.68	33.23
20	43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	534.10	170.44	31.91
21	45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	181.54	48.56	26.75
22	48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	3,204.22	1,283.22	40.05
23	49	जल संसाधन विभाग	413.42	89.64	21.68
24	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	113.89	30.50	26.78
25	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,769.91	618.55	34.95
26	52	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	82.63	18.03	21.82
27	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	82.92	29.15	35.15
28	54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	319.44	176.44	55.23
29	56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1,743.93	871.06	49.95
30	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	1,681.44	716.28	42.60
31	59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7,192.62	1,771.73	24.63
32	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,560.16	977.24	27.45

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रवधान के बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व भारत					
33	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	255.00	255.00	100.00
पूँजीगत दत्तमत					
34	1	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	343.01	82.59	24.08
35	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	30.45	21.48	70.54
36	3	भवन निर्माण विभाग	548.17	144.52	26.36
37	8	परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	119.00	106.03	89.10
38	9	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	175.00	109.40	62.51
39	10	ऊर्जा विभाग	1,890.41	477.32	25.25
40	12	योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	69.00	21.67	31.41
41	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	34.50	30.64	88.81
42	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	468.77	195.38	41.68
43	26	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	100.52	87.30	86.85
44	30	कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	96.00	35.26	36.73
45	36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	519.10	118.97	22.92
46	49	जल संसाधन विभाग	1,897.65	733.15	38.63
47	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	533.90	221.94	41.57
48	52	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	49.20	13.43	27.30
49	57	नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	20.00	20.00	100.00
50	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	56.07	56.07	100.00
51	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	39.57	39.57	100.00
कुल (राजस्व + पूँजीगत)			49,956.02	17,091.91	34.21

परिशिष्ट 2.2

उपशीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2018-19 के दौरान ठोस बचत (20 करोड़ व अधिक) हुआ

(संदर्भ: कंडिका: 2.3.1; पृष्ठ 46)

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-113-BA	54.00	38.89	कारण नहीं बताये गये हैं।
2		2401-00-796-28	27.00	24.34	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना
3		2401-00-796-A1	35.35	24.35	कारण नहीं बताये गये हैं।
4		2401-00-796-AF (CASC)	86.40	76.05	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना
5		2401-00-796-AF (CASS)	57.60	50.81	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना (₹ 22.94 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 27.87 करोड़)।
6		2401-00-796-BA	108.00	76.97	कारण नहीं बताये गये हैं।
7		2401-00-800-AF (CASC)	43.20	35.04	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना
8		2401-00-800-AF (CASS)	28.80	23.53	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना (₹ 9.52 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 14.01 करोड़)।
9		4402-00-796-01	180.00	31.64	कारण नहीं बताये गये हैं।
10	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-99	64.10	62.43	लाभुक आधारित योजनाओं की चयनित प्रक्रिया का अपूर्ण होना, राशि के आहरण पर 15 प्रतिशत सिलिंग एवं आचार संहिता का अनुपालन
11		2403-00-789-99	24.70	24.29	-वही-
12		2403-00-796-99	36.75	36.47	-वही-
13	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	25.00	20.22	कारण नहीं बताये गये हैं।
14		4059-01-796-39	25.00	20.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
15		4059-01-796-59	89.00	43.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
16	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-05	55.00	50.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
17		5053-02-102-09	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
18	9- कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-796-62	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
19		4425-00-108-16	52.50	32.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
20		4425-00-789-16	35.00	21.93	कारण नहीं बताये गये हैं।
21		4425-00-796-16	87.50	54.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
22	10-ऊर्जा विभाग	2059-80-001-10	59.03	25.54	आर्थिक उपाय
23		2801-01-789-10	36.00	33.00	आर्थिक उपाय
24		2801-01-796-10	78.00	71.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
25		2801-01-800-10	186.00	170.50	आर्थिक उपाय
26		2801-80-004-16	49.92	27.41	प्रस्तावों की अप्राप्ति
27		2801-80-101-15	2,000.00	1,405.05	(i) जे.बी.वी.एन.इल. को चालू एवं लंबित विद्युत् बिल के भुगतान हेतु राशि प्रदान करना (₹ 500.00 करोड़) तथा (ii) ग्राहकों को ट्रैफिक सब्सिडी में राशि का आंशिक उपयोग (₹ 905.05 करोड़)
28		6801-00-789-37	121.32	30.88	निधि की माँग नहीं की गयी।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
29	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-796-37	262.86	66.90	निधि की माँग नहीं की गयी।
30		6801-00-800-37	626.82	159.54	निधि की माँग नहीं की गयी।
31		6801-00-796-38	200.00	200.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
32	13-ब्याज भुगतान	2049-01-101-01	3,152.00	409.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
33		2049-01-200-02	430.00	169.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
34		2049-01-200-08	125.00	38.73	कारण नहीं बताये गये हैं।
35		2049-01-200-11	70.00	30.76	कारण नहीं बताये गये हैं।
36		2049-03-104-01	280.00	55.61	कारण नहीं बताये गये हैं।
37		2049-04-109-01	94.46	31.49	कारण नहीं बताये गये हैं।
38		2049-01-200-14	500.00	500.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
39	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	2048-00-101-01	255.00	255.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
40		6003-00-105-01	750.00	318.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
41		6004-01-109-01	200.00	73.01	कारण नहीं बताये गये हैं।
42		6004-02-105-01	125.95	20.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
43		6003-00-101-72	195.45	195.45	कारण नहीं बताये गये हैं।
44		6003-00-101-73	248.10	248.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
45		6003-00-101-74	400.00	400.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
46	15-पेंशन	2071-01-104-04	800.00	354.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
47		2071-01-115-02	30.00	29.12	कारण नहीं बताये गये हैं।
48	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-48	31.75	26.77	संविदा प्रक्रिया एवं पॉलिसी निर्णय में देरी
49		3456-00-789-39	72.20	21.91	लाभुकों का सम्मिलन एवं निष्काशन
50		3456-00-796-02	97.26	20.08	लाभुकों का सम्मिलन एवं निष्काशन
51		3456-00-796-39	254.58	38.72	लाभुकों का सम्मिलन एवं निष्काशन
52		3456-00-796-48	42.20	35.66	संविदा प्रक्रिया एवं पॉलिसी निर्णय में देरी
53	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-01	159.42	34.42	मुख्यतः राशि की अदेयता, वेतन निर्धारण का सत्यापन नहीं एवं राशि के आहरण पर 15 प्रतिशत सिलिंग
54		2406-01-796-58	49.69	28.09	मुख्यतः राशि स्वीकृति की अप्राप्ति (₹ 27.81 करोड़)
55		2406-01-796-48	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
56	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-102-54	186.00	49.95	निधि की माँग नहीं की गयी।
57		2210-03-103-01	237.36	29.14	कारण नहीं बताये गये हैं।
58		2210-03-103-03	140.47	43.89	कारण नहीं बताये गये हैं।
59		2210-05-105-06	264.73	80.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
60		2210-02-105-21 (CASC)	112.83	26.63	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना
61		2210-05-105-21 (CASS)	242.06	33.88	निधि की माँग नहीं की गयी।
62		2210-01-001-64	20.00	20.00	योजना की स्वीकृति नहीं
63		2210-01-103-56	113.36	113.36	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना
64		4210-01-110-45	62.00	41.21	योजना की स्वीकृति नहीं
65		4210-01-110-48	75.00	34.45	योजना की स्वीकृति नहीं
66	4210-01-796-48	60.00	39.73	योजना की स्वीकृति नहीं	

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
67	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2202-03-102-BA	65.00	40.59	कोषागार द्वारा विपत्र पास नहीं होना
68		2202-03-796-B5	65.00	29.16	कोषागार द्वारा विपत्र पास नहीं होना
69		2202-03-796-B7	45.00	44.55	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया जाना (₹ 17.55 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 27.00 करोड़)।
70		2202-03-796-BA	65.00	50.78	कोषागार द्वारा विपत्र पास नहीं होना
71		2202-03-102-B7	33.00	33.00	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया जाना (₹ 20.00 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 13.00 करोड़)।
72		2202.03.796-BB	25.00	25.00	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया जाना
73	22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	251.57	34.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
74	23-उद्योग विभाग	2852-80-796-10	45.00	25.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
75	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	4250-00-796-04	24.75	24.11	कारण नहीं बताये गये हैं।
76	27-विधि विभाग	2014-00-105-01	361.55	36.96	आर्थिक उपाय
77	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-43	300.00	196.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
78		2053-00-800-43	100.00	100.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
79	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-789-11	123.06	87.22	कारण नहीं बताये गये हैं।
80		2215-01-796-11 (CASC)	123.78	34.47	कारण नहीं बताये गये हैं।
81		2215-01-796-11 (CASS)	64.98	20.16	कारण नहीं बताये गये हैं।
82		2215-02-107-13	32.00	32.00	योजना की स्वीकृति नहीं
83		2215-02-107-11	441.86	238.62	कारण नहीं बताये गये हैं।
84		4215-01-102-02	159.20	25.54	कारण नहीं बताये गये हैं।
85		4215-01-796-02	228.11	68.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
86		2245-01-102-03	114.36	94.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
87	2245-02-113-02	35.00	33.54	कारण नहीं बताये गये हैं।	
88	39-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-80-101-16	21.05	20.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
89		2245-80-102-01	30.00	27.91	कारण नहीं बताये गये हैं।
90		2245-80-102-02	42.10	41.42	कारण नहीं बताये गये हैं।
91		2245-01-101-07	122.00	122.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
92		2245-01-282-01	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
93	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-104-01	262.63	40.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
94		2053-00-093-01	109.11	25.51	कारण नहीं बताये गये हैं।
95	41-सड़क निर्माण विभाग	3054-01-337-01	30.00	29.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
96		3054-03-337-01	150.00	37.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
97		3054-80-797-01	120.00	120.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
98		5054-03-101-03	149.00	43.27	कारण नहीं बताये गये हैं।
99		5054-03-337-02	75.00	23.44	कारण नहीं बताये गये हैं।
100		5054-03-796-02	45.00	34.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
101		5054-03-796-03	199.00	35.42	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
102	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-101-05 (CASC)	178.25	114.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
103		2501-06-101-05 (CASS)	118.83	72.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
104		2501-06-789-05 (CASC)	105.62	50.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
105		2501-06-789-05 (CASS)	70.41	26.94	कारण नहीं बताये गये हैं।
106		2501-06-796-05 (CASC)	129.60	102.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
107		2501-06-796-05 (CASS)	86.40	66.51	कारण नहीं बताये गये हैं।
108		2505-01-702-02	978.22	508.52	कारण नहीं बताये गये हैं।
109		2505-01-789-02	299.46	30.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
110		2505-01-796-02	718.69	262.44	कारण नहीं बताये गये हैं।
111		2505-02-101-04 (CASC)	492.40	228.72	कारण नहीं बताये गये हैं।
112		2505-02-101-04 (CASC)	109.60	27.24	कारण नहीं बताये गये हैं।
113		2505-02-101-05	24.00	23.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
114		2505-02-789-04	150.20	69.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
115		2505-02-796-04	360.80	167.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
116		2505-02-796-05	25.00	24.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
117		2501-02-101-06	48.12	48.12	कारण नहीं बताये गये हैं।
118		2501-02-789-06	20.05	20.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
119		2501-02-796-06	65.50	65.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
120		2501-06-101-14	34.63	34.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
121		2501-06-796-14	24.95	24.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
122		43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-003-AB	185.00	100.00
123	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-796-A8	45.00	30.01	कारण नहीं बताये गये हैं।
124	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-76	166.56	100.73	कारण नहीं बताये गये हैं।
125		2217-80-191-81	243.48	149.20	कारण नहीं बताये गये हैं।
126		2217-80-191-89	70.00	36.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
127		2217-80-192-82	74.50	40.54	कारण नहीं बताये गये हैं।
128		2217-80-796-56	350.00	85.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
129		2217-80-796-76	70.03	41.27	कारण नहीं बताये गये हैं।
130		2217-80-796-89	75.00	39.67	कारण नहीं बताये गये हैं।
131		2217-80-191-65	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
132		2217-80-191-76	160.20	160.20	कारण नहीं बताये गये हैं।
133		2217-80-191-83	69.10	69.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
134		2217-80-191-84	21.14	21.14	कारण नहीं बताये गये हैं।
135		2217-80-789-89	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
136		2217-80-796-75 (CASC)	100.00	100.00	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
137	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-796-75 (CASS)	100.00	100.00	स्मार्ट सिटी हेतु राशि (₹ 25.00 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 75.00 करोड़)।
138		2217-80-796-76	65.80	65.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
139		2217-80-796-80	35.00	35.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
140	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	198.12	37.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
141		2701-03-001-06	83.55	28.96	मुख्यतः सेवानिवृत्ति एवं स्थानान्तरण (₹ 27.63 करोड़)।
142		4700-80-789-12	125.00	21.05	केंद्र सरकार द्वारा राशि की अप्राप्ति (₹ 1.81 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 19.24 करोड़)।
143		4700-80-796-13	350.00	275.31	ई-भुगतान की समाप्ति
144		4701-80-789-64	40.00	21.48	कोणार्क सिंचाई योजना के अनुपालन का पूर्ण नहीं होना
145		4701-80-800-65	40.00	38.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
146		4701-80-800-71	110.00	104.60	मार्च में राशि के 15 प्रतिशत आहरण पर सिलिंग (₹ 98.60 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 6.00 करोड़)।
147		4701-80-789-63	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
148		4701-80-789-65	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
149		4701-80-796-63	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
150	4700-80-789-13	164.70	164.70	कारण नहीं बताये गये हैं।	
151	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	2702-02-005-01	107.29	29.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
152		4702-00-101-18	158.00	109.14	कारण नहीं बताये गये हैं।
153		4702-00-796-18	140.00	44.10	मार्च में राशि के 15 प्रतिशत आहरण पर सिलिंग
154	4702-00-796-20	110.00	34.44	मार्च में राशि के 15 प्रतिशत आहरण पर सिलिंग	
155	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-59	53.00	43.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
156		2225-01-789-61	28.00	22.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
157		2225-02-277-59	24.00	22.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
158		2225-02-796-59	112.05	105.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
159		2225-02-796-61	46.00	33.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
160		2225-03-277-12	108.00	44.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
161	2225-03-796-23	124.00	65.26	कारण नहीं बताये गये हैं।	
162	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2204-00-102-05	48.00	48.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
163		2404-00-102-68	61.70	23.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
164		2404-00-796-05	21.60	21.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
165	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2515-00-001-28	125.00	71.31	कारण नहीं बताये गये हैं।
166		4515-00-789-04	150.00	73.03	कारण नहीं बताये गये हैं।
167		4515-00-789-10	52.93	43.87	कारण नहीं बताये गये हैं।
168	4515-00-796-10	288.00	45.32	कारण नहीं बताये गये हैं।	
169	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	183.12	40.08	कारण नहीं बताये गये हैं।
170		2515-00-198-44	1,208.24	604.12	कारण नहीं बताये गये हैं।
171		2515-00-198-45	164.24	152.38	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण	
172	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-01	408.34	97.26	कारण नहीं बताये गये हैं।	
173		2202-02-109-35	92.10	83.48	कारण नहीं बताये गये हैं।	
174		2202-02-789-35	31.30	29.95	कारण नहीं बताये गये हैं।	
175		2202-02-796-35	60.78	58.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
176		2202-03-103-01	168.03	24.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
177		2202-05-200-04	51.21	35.87	कारण नहीं बताये गये हैं।	
178		2202-02-109-35	61.39	61.39	कारण नहीं बताये गये हैं।	
179		2202-02-109-64	32.00	32.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
180		2202-02-789-35	20.87	20.87	कारण नहीं बताये गये हैं।	
181		2202-02-796-35	40.52	40.52	कारण नहीं बताये गये हैं।	
182		2202-02-796-64	21.12	21.12	कारण नहीं बताये गये हैं।	
183		4202-02-796-78	40.00	40.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
184		59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2201-01-101-01	3,691.26	4,68.07	कारण नहीं बताये गये हैं।
185			2202-01-101-55	90.00	45.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
186	2202-01-104-01		90.77	34.63	कारण नहीं बताये गये हैं।	
187	2202-01-111-25 (CASC)		477.00	86.50	कारण नहीं बताये गये हैं।	
188	2202-01-111-25 (CASS)		318.00	57.66	कारण नहीं बताये गये हैं।	
189	2202-01-112-03 (CASC)		236.50	52.72	कारण नहीं बताये गये हैं।	
190	2202-01-112-03 (CASS)		232.97	112.48	कारण नहीं बताये गये हैं।	
191	2202-01-789-03		55.60	26.23	कारण नहीं बताये गये हैं।	
192	2202-01-796-03 (CASC)		156.18	63.89	कारण नहीं बताये गये हैं।	
193	2202-01-796-03 (CASS)		153.85	84.47	कारण नहीं बताये गये हैं।	
194	2202-01-796-25 (CASC)		315.00	124.98	कारण नहीं बताये गये हैं।	
195	2202-01-796-25 (CASS)		210.00	83.32	कारण नहीं बताये गये हैं।	
196	2202-01-796-55		96.75	36.75	कारण नहीं बताये गये हैं।	
197	2202-01-101-52		32.00	32.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
198	2202-01-101-57		48.00	48.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
199	2202-01-789-57		20.40	20.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
200	2202-01-796-52		34.40	34.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
201	2202-01-796-57	51.60	51.60	कारण नहीं बताये गये हैं।		
202	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-01-102-51 (CASC)	119.57	33.25	कारण नहीं बताये गये हैं।	
203		2235-02-102-51 (CASS)	104.32	31.71	कारण नहीं बताये गये हैं।	
204		2235-02-102-97	68.00	31.24	कारण नहीं बताये गये हैं।	
205		2235-02-102-AS	22.22	21.11	कारण नहीं बताये गये हैं।	
206		2235-02-796-51 (CASC)	125.58	39.89	कारण नहीं बताये गये हैं।	
207		2235-02-796-51 (CASS)	115.43	30.56	कारण नहीं बताये गये हैं।	

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
208	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-796-97	68.00	32.11	कारण नहीं बताये गये हैं।
209		2235-02-796-AS	24.47	22.44	कारण नहीं बताये गये हैं।
210		2236-02-101-02 (CASC)	169.78	43.91	कारण नहीं बताये गये हैं।
211		2236-02-101-02 (CASS)	169.78	38.61	कारण नहीं बताये गये हैं।
212		2236-02-796-02 (CASC)	198.76	83.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
213		2236-02-796-02 (CASS)	198.76	80.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
कुल			37,918.52	16,904.69	

परिशिष्ट 2.3

₹ एक करोड़ व अधिक की बचत जो प्रत्यर्पित नहीं किये गये का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	बचत	प्रत्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व दत्तमत				
1	1-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	847.79	728.70	119.09
2	2-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	218.15	214.76	3.39
3	6-मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	9.46	8.06	1.40
4	10-ऊर्जा विभाग	1,464.37	1,264.37	200.00
5	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	348.70	344.67	4.03
6	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	245.32	229.14	16.18
7	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	344.44	339.38	5.06
8	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	187.04	182.81	4.23
9	23-उद्योग विभाग	150.85	103.22	47.63
10	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	326.59	319.91	6.68
11	39-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	437.81	0.44	437.37
12	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	121.29	120.27	1.02
13	41-सड़क निर्माण विभाग	204.64	54.29	150.35
14	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	170.44	147.06	23.38
15	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	48.56	47.48	1.08
16	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	618.55	502.07	116.48
17	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	176.44	159.16	17.28
18	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	71.78	65.32	6.46
19	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	716.28	495.35	220.93
20	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	977.24	903.22	74.02
राजस्व भारत				
21	13-ब्याज भुगतान	781.07	242.27	538.80
22	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	255.00	0.00	255.00
पूँजीगत दत्तमत				
23	1-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	82.59	75.59	7.00
24	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	195.38	193.63	1.75
25	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	69.89	10.59	59.30
26	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	35.26	12.36	22.90
27	41-सड़क निर्माण विभाग	156.99	115.62	41.37
28	49-जल संसाधन विभाग	733.15	730.50	2.65
29	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	46.92	26.02	20.90
30	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	9.20	7.60	1.60
31	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	229.64	217.08	12.56

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	बचत	प्रत्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
32	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	56.07	25.00	31.07
33	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	39.57	26.60	12.97
पूँजीगत भारत				
34	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	445.46	403.59	41.87
कुल		10,821.93	8,316.13	2,505.80

परिशिष्ट 2.4

मार्च 2019 में ₹ 20 करोड़ से अधिक की निधियों के प्रत्यर्पण के मामले
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 47)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-113-BA	29.89
2		2401-00-796-28	24.34
3		2401-00-796-A1	24.35
4		2401-00-796-AF (CASC)	76.05
5		2401-00-796-AF (CASS)	22.94
6		2401-00-796-BA	58.97
7		2401-00-800-AF	35.04
8		4402-00-796-01	31.64
9	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-99	62.43
10		2403-00-789-99	24.29
11		2403-00-796-99	36.47
12	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	20.22
13		4059-01-796-39	20.80
14		4059-01-796-59	43.74
15	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-05	50.13
16	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-796-62	25.00
17		4425-00-108-16	32.96
18		4425-00-789-16	21.93
19		4425-00-796-16	54.50
20	10-ऊर्जा विभाग	2059-80-001-10	25.54
21		2801-01-789-10	33.00
22		2801-01-796-10	71.50
23		2801-01-800-10	170.50
24		2801-80-004-16	27.41
25		2801-80-101-15	1405.05
26		6801-00-789-37	30.88
27		6801-00-796-37	66.90
28		6801-00-800-37	159.54
29		6801-00-796-38	200.00
30	13-ब्याज भुगतान	2049-01-200-08	38.73
31		2049-01-200-11	30.76
32	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-105-01	318.10
33		6004-01-109-01	73.01
34	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-48	26.77
35		3456-00-789-39	21.91
36		3456-00-796-02	20.08
37		3456-00-796-39	38.72
38		3456-00-796-48	35.66

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
39	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-01	34.35
40		2406-01-796-58	27.81
41		2406-01-796-48	25.00
42	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-102-54	49.95
43		2210-03-103-01	26.95
44		2210-03-103-03	41.27
45		2210-05-105-06	80.00
46		2210-05-105-21 (CASC)	26.63
47		2210-05-105-21 (CASS)	33.88
48		2210-01-001-64	20.00
49		2210-01-103-56	113.36
50		4210-01-110-45	41.21
51		4210-01-110-48	34.45
52		4210-01-796-48	39.73
53	21-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-BA	40.59
54		2202-03-796-B5	29.16
55		2202-03-796-B7	44.55
56		2202-03-796-BA	50.78
57		2202-03-796-BB	25.00
58		2202-03-102-B7	33.00
59	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	33.89
60	26-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	4250-00-796-04	24.11
61	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-43	196.48
62		2053-00-800-43	100.00
63	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-789-11	66.91
64		2215-02-107-13	32.00
65		2215-02-107-11	238.62
66		4215-01-102-02	25.54
67		4215-01-796-02	68.47
68	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-104-01	40.54
69		2053-00-093-01	25.50
70	41-सड़क निर्माण विभाग	3054-03-337-01	34.38
71		5054-03-101-03	28.77
72		5054-03-337-02	22.67
73		5054-03-796-02	34.00
74		2501-06-101-05 (CASC)	114.63
75	2501-06-101-05 (CASS)	72.00	
76	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-789-05 (CASC)	50.17
77		2501-06-789-05 (CASS)	26.94
78		2501-06-796-05	66.51

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
79	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2505-01-702-02	508.52
80		2505-01-789-02	30.28
81		2505-01-796-02	262.44
82		2505-02-101-04 (CASC)	228.72
83		2505-02-101-04 (CASS)	27.24
84		2505-02-101-05	23.96
85		2505-02-789-04	69.75
86		2505-02-796-04	167.55
87		2505-02-796-05	24.96
88		2501-02-101-06	48.12
89		2501-02-789-06	20.05
90		2501-02-796-06	65.50
91		2501-06-101-14	34.63
92		2501-06-796-14	24.95
93	43-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-003-AB	100.00
94	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-796-A8	30.01
95	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-76	100.73
96		2217-80-191-81	149.20
97		2217-80-191-89	36.57
98		2217-80-192-82	40.54
99		2217-80-796-56	85.00
100		2217-80-796-76	41.27
101		2217-80-796-89	39.67
102		2217-80-191-65	50.00
103		2217-80-191-76	160.20
104		2217-80-191-83	69.10
105		2217-80-192-84	21.14
106		2217-80-789-89	25.00
107		2217-80-796-75 (CASC)	100.00
108		2217-80-796-75 (CASS)	100.00
109	2217-80-796-76	65.80	
110	2217-80-796-80	35.00	
111	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	37.74
112		2701-03-001-06	28.96
113		4700-80-796-13	275.31
114		4701-80-789-64	21.48
115		4701-80-800-65	38.00
116		4701-80-800-71	98.60
117		4701-80-789-63	20.00
118		4701-80-789-65	20.00
119		4701-80-796-63	20.00
120		4701-80-789-13	164.70

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
121	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	2702-02-005-01	29.98
122		4702-00-101-18	109.14
123		4702-00-796-18	44.10
124		4702-00-796-20	34.42
125	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-59	41.73
126		2225-02-277-59	22.39
127		2225-02-796-59	104.59
128		2225-02-796-61	26.74
129		2225-03-277-12	40.00
130		2225-03-796-23	60.00
131	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-05	46.80
132		2404-00-102-68	23.82
133		2404-00-796-05	21.06
134	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-28	71.31
135		4515-00-789-04	64.37
136		4515-00-789-10	43.87
137		4515-00-796-10	45.32
138	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	40.08
139		2515-00-198-44	604.12
140		2515-00-198-45	152.38
141	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-01	97.05
142		2202-02-109--35	55.58
143		2202-02-789-35	21.96
144		2202-02-796-35	44.12
145		2202-03-103-01	24.00
146		2202-05-200-04	35.87
147		2202-02-109-35	40.88
148		2202-02-796-35	30.35
149		2202-02-110-03	23.68
150		59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-01
151	2202-01-101-55		45.00
152	2202-01-104-01		34.63
153	2202-01-111-25 (CASC)		86.50
154	2202-01-111-25 (CASS)		57.66
155	2202-01-112-03 (CASC)		52.72
156	2202-01-112-03 (CASS)		112.48
157	2202-01-789-03		26.23
158	2202-01-796-03 (CASC)		63.89
159	2202-01-796-03 (CASS)		84.47
160	2202-01-796-25 (CASC)		124.98
161	2201-01-796-25 (CASS)		83.32
162	2202-01-796-55		36.75

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
163	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-52	32.00
164		2202-01-101-57	48.00
165		2202-01-789-57	20.40
166		2202-01-796-52	34.40
167		2201-01-796-57	51.60
168	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-51 (CASC)	33.25
169		2235-02-102-51 (CASS)	31.71
170		2235-02-102-97	30.76
171		2235-02-796-51 (CASC)	39.89
172		2235-02-796-51 (CASS)	30.56
173		2235-02-796-97	31.67
174		2236-02-101-02 (CASC)	43.91
175		2236-02-101-02 (CASS)	38.61
176		2236-02-796-02 (CASC)	83.82
177		2236-02-796-02 (CASS)	80.74
सकल योग			13,027.97

परिशिष्ट 2.5
पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 50)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की वापसी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की वापसी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
कुल			3,015.37

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था।

परिशिष्ट 2.6

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 51)
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,483.72	753.42	730.30	117.49
2	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	367.90	170.98	196.92	21.23
3	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	51.04	49.29	1.75	11.71
4	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	236.42	160.05	76.37	4.66
5	10-ऊर्जा विभाग	4,006.43	2,742.11	1,264.32	200.05
6	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	59.84	48.39	11.45	4.33
7	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	1,311.12	1,027.00	284.12	64.58
8	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	701.85	525.07	176.78	68.54
9	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3,483.50	3,109.16	374.34	397.63
10	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,219.96	902.26	317.70	26.73
11	23-उद्योग विभाग	456.57	308.09	148.48	2.37
12	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	242.85	166.63	76.22	2.35
13	27-विधि विभाग	367.06	350.94	16.12	37.02
14	32-विधान सभा (राजस्व दत्तमत)	94.02	88.50	5.52	3.21
15	33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	28.74	26.59	2.15	2.22
16	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	675.87	559.87	116.00	210.59
17	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	1,754.71	1,365.18	389.53	65.43
18	38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	25.06	22.08	2.98	2.36
19	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	713.08	470.33	242.75	195.06
20	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	567.40	482.25	85.15	36.13
21	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6,170.43	4,188.42	1982.01	102.67
22	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	507.45	363.67	143.78	26.65
23	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	179.73	132.98	46.75	1.81
24	47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	143.98	138.90	5.08	4.37
क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	वास्तविक	मूल	अनुपूरक

		प्रावधान	व्यय	प्रावधान में से बचत	प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
25	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,819.96	1,921.00	898.96	384.26
26	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,586.24	1,151.36	434.88	183.66
27	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत्ती राज प्रभाग)	1,659.19	872.88	786.31	84.74
28	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	1,656.83	965.17	691.66	24.61
29	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7,099.48	5,420.89	1,678.59	93.14
30	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,392.22	2,582.92	809.30	167.94
राजस्व (भारित)					
31	13-ब्याज भुगतान	5,631.04	4,851.97	779.07	2.00
32	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	96.68	89.72	6.96	2.20
पूँजीगत (दत्तमत)					
33	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	339.00	260.41	78.59	4.01
34	3-भवन निर्माण विभाग	511.17	403.65	107.52	37.00
35	10-ऊर्जा विभाग	1,523.69	1,413.09	110.60	366.72
36	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	31.00	3.86	27.14	3.50
37	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	328.77	273.39	55.38	140.00
38	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	65.83	13.21	52.62	34.69
39	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	93.50	60.74	32.76	2.50
40	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	55.00	52.79	2.21	1.14
41	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	544.64	519.72	24.92	10.18
42	49-जल संसाधन विभाग	1,564.50	1,164.50	400.00	333.15
43	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	529.00	311.96	217.04	4.90
44	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	56.80	51.49	5.31	5.48
कुल योग (राजस्व + पूँजीगत)		54,433.27	40,536.88	13,896.39	3,495.01

परिशिष्ट 2.7

निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 52)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखाशीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य(+)
1	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-001-02	(+) 6.10	---	(-) 18.83
2		2403-00-102-06	(+) 2.13	---	(-) 66.67
3		3451-00-090-08	(+) 3.52	---	(-) 8.59
4	10-ऊर्जा विभाग	2059-80-001-10	(+) 30.67	---	(-) 2,553.74
5	17-वाणिज्यकर विभाग	2040-00-001-04	(+) 200.00	---	(-) 320.78
6	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-001-01	(+) 1.47	---	(-) 500.38
7		2406-01-101-01	(+) 2.00	---	(-) 3,442.18
8		3451-00-090-06	(+) 3.53	---	(-) 67.57
9	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-13	(+) 220.63	---	(-) 1,589.45
10		2210-03-101-02	(+) 300.00	---	(-) 982.22
11		2210-03-103-01	(+) 450.00	---	(-) 2914.35
12	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-001-04	(+) 5.00	---	(-) 238.21
13		2055-00-114-01	(+) 20.00	---	(-) 83.65
14		2056-00-001-01	(+) 12.40	---	(-) 209.39
15	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	2251-00-090-13	(+) 3.84	---	(-) 16.86
16	32-विधानसभा	2011-02-103-01	(+) 8.00	---	(-) 255.55
17	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-89	(+) 300.00	---	(-) 911.42
18	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2205-00-796-39	(+) 45.00	---	(-) 66.97
कुल			(+)1,614.29		(-)14,246.81
19	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-02	---	(-) 126.76	(+) 52.64
20	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-01	---	(-) 3.50	(+) 0.37
कुल			-	(-) 130.26	53.01
21	17-वाणिज्यकर विभाग	2040-00-101-02	(+) 56.00	(-) 279.00	(-) 1,547.12
22	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-109-01	(+) 790.00	(-) 870.00	(-) 6,220.98
कुल			(+)846.00	(-)1,149.00	(-)7,768.10

परिशिष्ट 2.8

वर्ष के दौरान किये गये 100 प्रतिशत ठोस प्रत्यर्पण की समीक्षा के परिणाम
(संदर्भ : कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 52)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	प्रत्यर्पण की राशि
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-105-B7	मृदा उद्धार हेतु योजना, अम्लीय मिट्टी हेतु मृदा प्रबंधन	6.00	6.00
2		2401-00-105-B8	मृदा स्वास्थ्य किट एवं रिफिल	9.00	9.00
3		2401-00-109-28	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम	13.50	13.50
4		2401-00-109-28	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम	9.00	9.00
5		2401-00-796-B7	मृदा उद्धार हेतु योजना, अम्लीय मिट्टी हेतु मृदा प्रबंधन	12.00	12.00
6		2401-00-796-B8	मृदा स्वास्थ्य किट एवं रिफिल	18.00	18.00
7	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-106-A2	समेकित फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत के.वी.के. में पशु ब्रीडिंग फॉर्म विकास	15.50	15.50
8		2403-00-796-84	समेकित पॉल्ट्री विकास	12.00	12.00
9		2403-00-796-A2	समेकित फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत के.वी.के. में पशु ब्रीडिंग फॉर्म विकास	11.00	11.00
10		4403-00-796-06	पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण की योजना	9.10	9.10
11	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-01	बिरसा मुन्डा हवाई अड्डा के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण	10.00	10.00
12		5053-02-102-08	देवघर हवाई अड्डा के विस्तार हेतु संचरण लाइन का स्थानान्तरण	5.50	5.50
13		5053-02-102-09	देवघर हवाई अड्डा का विकास एवं विस्तार	25.00	25.00
14		5053-02-102-10	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना एवं हवाई अड्डा का विकास	7.00	7.00
15	10-ऊर्जा विभाग	2801-05-052-04	जे.यू.एस.एन.एल. हेतु संचरण लाइन का स्थानान्तरण	5.25	5.25
16		2801-80-796-10	जे.एस.ई.आर.सी. को नये भवन निर्माण हेतु सहायक अनुदान	5.00	5.00
17		6801-00-201-24	प्रदूषण नियंत्रक माप	5.00	5.00
18		6801-00-202-01	कोल ब्लॉक एवं पावर प्लांट - नयी योजना	15.00	15.00
19		6801-00-796-38	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे.बी.भी.एन.एल.) हेतु भूमि	200.00	200.00
20	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-44	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यन्त्र वितरण	7.40	7.40
21		3456-00-796-17	किरोसिन तेल वितरण हेतु कमीशन	6.13	6.13
22		3456-00-796-43	मूल्य स्थिरीकरण कोष	5.00	5.00
23		3456-00-796-44	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यन्त्र वितरण	10.00	10.00

24	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-48	वन सीमा का समेकन	25.00	25.00
25	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-63	विश्व बैंक की सहायता से झारखण्ड स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण प्रोजेक्ट	5.00	5.00
26		2210-01-001-64	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा हेतु सहायता अनुदान	20.00	20.00
27		2210-01-103-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	113.36	113.36
28		2210-01-109-40	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (ए.एन.एम/जी.एन.एम. विद्यालय) (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	12.00	12.00
29		2210-01-109-40	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (ए.एन.एम/जी.एन.एम. विद्यालय) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	8.00	8.00
30		2010-01-110-55	निजी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना हेतु प्रोत्साहन	10.00	10.00
31		2210-01-110-71	जिला स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं एवं स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं, कार्यालयों तक दवाओं, मशीन उपकरण, सामान की आपूर्ति इत्यादि की खरीद (चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर)	8.00	8.00
32		2210-01-789-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	7.00	7.00
33		2010-01-789-68	चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं में पुनरुद्धार, मरम्मति, परिवर्तन इत्यादि	5.00	5.00
34		2210-01-796-55	निजी चिकित्सा महाविद्यालय के स्थापना हेतु प्रोत्साहन	10.00	10.00
35		2210-01-796-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	16.00	16.00
36		2210-01-796-63	विश्व बैंक की सहायता से झारखण्ड स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण प्रोजेक्ट	5.00	5.00
37		2210-01-796-64	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा हेतु सहायता अनुदान	15.00	15.00
38		2210-01-796-71	जिला स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं एवं स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं, कार्यालयों तक दवाओं, मशीन उपकरण, सामान की आपूर्ति इत्यादि की खरीद (चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर)	8.00	8.00
39		2210-02-200-27	राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	14.96	14.96
40	2210-02-200-27	राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	9.01	9.01	
41	2210-05-105-16	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी.कोर्स) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	6.87	6.87	

42		2210-06-112-19	त्रिवर्षीय बी.एस.सी. सामुदायिक स्वास्थ्य कोर्स	10.00	10.00
43		4210-01-110-43	तृतीयक देखभाल कार्यक्रम (सी.ए.एस.सी.)	7.65	7.65
44		4210-01-110-43	तृतीयक देखभाल कार्यक्रम (सी.ए.एस.एस.)	5.10	5.10
45		4210-03-796-09	ए.एन.एम./जी.एन.एम. विद्यालयों के निर्माण एवं उत्क्रमण	8.00	8.00
46		2202-03-102-B7	विश्वविद्यालय को पुस्तकालय, प्रयोगशाला. कम्प्यूटर केन्द्र, इंटरन शीप विकास केन्द्र, आई.सी.टी. मूलभूत ढाँचा हेतु सहायता अनुदान	33.00	33.00
47	21-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-B8	बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, दो पारियों में कक्षा के संचालन एवं कोचिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	10.00	10.00
48		2202-03-796-B8	बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, दो पारियों में कक्षा के संचालन एवं कोचिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	14.00	14.00
49		2202-03-796-BB	झारखण्ड के आई. एस.एम., धनबाद एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के भूमि अधिग्रहण हेतु सहायता अनुदान	25.00	25.00
50	23-उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)	2851-00-796-43	एन.आई.डी. अहमदाबाद की सहायता से हैंडलूम विकास संस्थान हस्तशिल्प स्थापना का विकास	5.00	5.00
51		2852-80-102-86	स्टार्टअप पूँजी व्हाउचर निधि	15.00	15.00
52		4885-60-796-01	स्टार्टअप पूँजी जिडको	5.00	5.00
53	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	4250-00-789-01	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाईड भवन का निर्माण	5.00	5.00
54		4250-00-796-01	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाईड भवन का निर्माण	12.61	12.61
55	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-800-43	छ: पिछड़ा जिलों हेतु विशेष कार्यक्रम	100.00	100.00
56	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-789-13	ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान	13.00	13.00
57		2215-01-796-13	ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान	19.00	19.00
58		2215-02-107-13	ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान	32.00	32.00
59	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-101-06	वाटरशेड योजना नाबाई	48.12	48.12
60		2501-02-101-07	वृहत सिंचाई योजना	9.80	9.80
61		2501-02-101-08	नीरांचल योजना (सी.ए.एस.सी.)	8.82	8.82
62		2501-02-101-08	नीरांचल योजना (सी.ए.एस.एस.)	5.88	5.88
63		2501-02-101-09	वाटरशेड विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान	9.80	9.80
64		2501-02-789-06	वाटरशेड योजना नाबाई	20.05	20.05
65		2501-02-796-06	वाटरशेड योजना नाबाई	65.50	65.50
66		2501-02-796-07	सिंचाई योजना	7.20	7.20

67		2501-02-796-08	नीरांचल योजना	6.48	6.48
68		2501-02-796-09	वाटरशेड विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान	7.20	7.20
69		2501-06-101-14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबान योजना	34.63	34.63
70		2501-06-796-11	माइक्रोडीप सिंचाई योजना पर बागवानी में रुकावट पर पहल	5.40	5.40
71		2501-06-796-14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबान योजना	24.95	24.95
72		2501-06-800-11	माइक्रोडीप सिंचाई योजना पर बागवानी में रुकावट पर पहल	7.35	7.35
73		2515-00-102-60	दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना हेतु अनुदान	19.60	19.60
74		2515-00-789-60	दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना हेतु अनुदान	6.00	6.00
75		2515-00-796-60	दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना हेतु अनुदान	14.40	14.40
76		4515-00-796-43	मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना	5.50	5.50
77		2217-80-191-65	झारखण्ड राज्य विकास निधि अनुदान (राज्य निधि)	50.00	50.00
78		2217-80-191-76	शहरी नवीकरण मिशन-ए.एम.आर.यू.टी.	160.20	160.20
79		2217-80-191-80	पी.पी.पी. प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन	15.00	15.00
80		2217-80-191-83	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निगमों को अनुदान	69.10	69.10
81		2217-80-192-84	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निगमों/ नगरपालिकाओं को अनुदान	21.14	21.14
82	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-193-85	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को अनुदान	6.26	6.26
83		2217-80-789-56	शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिकरण हेतु सहायता अनुदान	15.00	15.00
84		2217-80-789-89	प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए सहायता अनुदान	25.00	25.00
85		2217-80-796-61	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी.आर.बी.ए. (राज्यांश)	5.35	5.35
86		2217-80-796-75	स्मार्ट सिटी (केन्द्रांश)	100.00	100.00
87		2217-80-796-75	स्मार्ट सिटी (राज्यांश)	100.00	100.00
88		2217-80-796-76	शहरी नवीकरण मिशन (केन्द्रांश)	65.80	65.80
89		2217-80-796-80	पी.पी.पी. प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन	35.00	35.00
90	49-जल संसाधन विभाग	4701-80-789-63	मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	20.00	20.00
91		4701-80-789-65	छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	20.00	20.00

92		4701-80-796-63	मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	20.00	20.00
93		4700-80-789-13	स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट	164.70	164.70
94	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-02-796-50	टी.सी.डी.सी. हेतु सहायता अनुदान	5.00	5.00
95		2225-02-796-91	आय उत्पन्न करने वाले गतिविधियों हेतु सहायता	5.00	5.00
96	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-101-06	पंचायत भवनों का रखरखाव (स्थापना व्यय)	5.00	5.00
97	57-नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	6216-02-201-05	एच.आई.जी./एम.आई.एफ./एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स के निर्माण एवं अधिकृत भूमि के विकास हेतु जे.एस.एच. बोर्ड को ऋण	5.00	5.00
98		6216-02-796-05	एच.आई.जी./एम.आई.एफ./एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स के निर्माण एवं अधिकृत भूमि के विकास हेतु जे.एस.एच. बोर्ड को ऋण	5.00	5.00
99		6216-02-796-08	सहजानन्द चौक, हरमू, राँची के निकट कॉमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण	10.00	10.00
100	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-15	सामान्य एवं पिछड़ी जाती के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें	9.60	9.60
101		2202-01-101-51	मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना	8.80	8.80
102		2202-01-101-52	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना जे.ई.पी.सी. को अनुदान	32.00	32.00
103		2202-01-101-57	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान	48.00	48.00
104		2202-01-789-52	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना जे.ई.पी.सी. को अनुदान	13.60	13.60
105		2202-01-789-57	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान	20.40	20.40
106		2202-01-796-15	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा जाति छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें	10.32	10.32
107		2202-01-796-44	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहायता अनुदान	8.75	8.75
108		2202-01-796-44	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहायता अनुदान	5.88	5.88
109		2202-01-796-51	मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना	9.46	9.46
110		2202-01-796-52	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना जे.ई.पी.सी. को अनुदान	34.40	34.40
111		2202-01-796-57	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान	51.60	51.60
112	2202-01-800-44	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहायता अनुदान (सी.ए.एस.सी.) (केन्द्रांश-75 : राज्यांश-25)	13.25	13.25	

113		2202-01-800-44	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहायता अनुदान (सी.ए.एस.एस.) (केन्द्रांश-75 : राज्यांश-25)	8.90	8.90
114	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-48	स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स	5.53	5.53
115		2235-02-102-A8	आंगनबाडी केन्द्रों का सुदृढीकरण	9.60	9.60
116		2235-02-103-A0	तेजस्विनी योजना	14.00	14.00
117		2235-02-796-48	स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स	6.00	6.00
118		2235-02-796-93	ए.डब्लू.सी. का सुदृढीकरण	5.00	5.00
119		2235-02-796-A0	तेजस्विनी योजना	16.00	16.00
120		2235-02-796-A4	विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों/गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कर की आपूर्ति	5.20	5.20
121		2235-02-796-A8	आंगनबाडी केन्द्रों का सुदृढीकरण	10.40	10.40
122		2235-02-796-AD	आई.सी.डी.सी. के अंतर्गत ए.डब्लू.सी. का निर्माण/रखरखाव/उत्क्रमण	5.05	5.05
123		2236-02-101-06	किशोरियों के लिए योजना (सी.ए.एस.सी.)	6.85	6.85
124		2236-02-796-06	किशोरियों के लिए योजना (सी.ए.एस.सी.)	8.00	8.00
125		2336-02-796-06	किशोरियों के लिए योजना (सी.ए.एस.एस)	8.00	8.00
126		4235-02-106-74	अनुश्रवण कोषांग का संचालन	12.00	12.00
127	4235-02-796-74	अनुश्रवण कोषांग का संचालन	8.00	8.00	
कुल				2,667.76	2,667.76

परिशिष्ट 2.9
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.4; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनवरी से मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत		मार्च 2019 में आहरित ए.सी. विपत्र	मार्च 2019 में व्यक्तिगत निक्षेप (पी.डी.) खाते में अंतरित राशि
					जनवरी-मार्च 2019 के दौरान	मार्च 2019 में		
1	10-ऊर्जा विभाग	199.99	194.41	199.99	100.00	97.21	0.00	194.41
2	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	8.97	8.24	8.97	100.00	91.86	0.00	0.00
3	23-उद्योग, खनन एवं भूतत्व विभाग (उद्योग विभाग)	6.50	6.50	6.50	100.00	100.00	0.00	0.00
4	57-नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	15.01	8.14	17.23	87.12	47.24	0.00	0.00
5	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	234.23	30.29	273.39	85.68	11.08	0.00	38.33
6	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	82.29	47.39	102.89	79.98	46.06	0.00	0.00
7	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	40.01	13.60	51.49	77.70	26.41	0.00	0.87
8	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	50.69	17.92	65.60	77.27	27.32	0.00	0.00
9	46-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	76.56	58.77	99.37	77.05	59.14	0.00	25.96
10	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	357.33	302.30	485.37	73.62	62.28	0.00	0.00
11	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	1,376.20	891.32	1,902.30	72.34	46.85	0.00	559.59
12	52-पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	10.36	6.18	14.66	70.67	42.16	0.00	1.35
13	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	95.19	82.07	142.99	66.57	57.40	0.00	0.00
14	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	321.69	268.15	491.93	65.39	54.51	0.00	197.19

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनवरी से मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत		मार्च 2019 में आहरित ए.सी. विपत्र	मार्च 2019 में व्यक्तिगत निक्षेप (पी.डी.) खाते में अंतरित राशि
					जनवरी-मार्च 2019 के दौरान	मार्च 2019 में		
15	6-मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	67.73	43.70	105.63	64.12	41.37	0.10	0.00
16	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	294.31	120.02	467.74	62.92	25.66	0.00	0.00
17	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	98.92	84.99	157.33	62.87	54.02	0.00	0.00
18	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	161.75	97.85	260.41	62.11	37.58	0.00	17.00
19	46-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	27.11	18.80	47.40	57.19	39.66	0.05	20.75
20	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	228.02	41.14	400.13	56.99	10.28	0.00	0.00
21	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	224.63	73.16	394.59	56.93	18.54	5.65	21.24
22	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	240.75	237.85	426.60	56.43	55.75	22.60	0.01
23	10-ऊर्जा विभाग	1,327.54	712.16	2,490.23	53.31	28.60	0.00	1,371.25
24	49-जल संसाधन विभाग	232.45	59.73	437.10	53.18	13.67	0.00	0.00
25	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	357.33	111.33	695.81	51.35	16.00	0.00	14.27
26	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	85.00	84.64	165.55	51.34	51.13	0.00	83.00
27	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	97.36	59.01	190.92	51.00	30.91	0.00	0.00
28	52-पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	24.56	12.24	49.11	50.01	24.92	6.30	6.69
कुल		6,342.48	3,691.90	10,151.23	62.48	36.37	35.15	2,551.91

परिशिष्ट 2.10

नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय असमाशोधित रह गया

(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नियंत्रक पदाधिकारी/विभाग	समाशोधित नहीं की गयी राशि
1	निबंधक, कॉर्पोरेशन समाज, कॉर्पोरेशन विभाग, राँची	62.78
2	सचिव, वित्त विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, झारखण्ड, राँची	311.92
3	सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	16.17
4	सचिव राजस्व बोर्ड विभाग	679.45
5	उप सचिव, प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राँची	6,457.89
6	उप सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राँची	278.04
7	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, राँची	48.90
8	उप सचिव, कल्याण विभाग, राँची	2,087.06
9	1. उप सचिव, झारखण्ड, राँची 2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	967.53
10	सचिव, शहरी विकास, झारखण्ड, राँची	1,250.79
11	सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखण्ड	695.36
12	उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग, झारखण्ड	312.10
13	निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	5,998.59
14	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	16.65
15	श्रम आयुक्त, राँची	19.15
16	निदेशक, योजना व मूल्यांकन विभाग	13.40
17	चुनाव आयुक्त, चुनाव विभाग, राँची	104.13
18	सचिव, खाद्य एवं पौष्टिक विभाग, झारखण्ड	225.87
19	निदेशक, डेयरी विकास, झारखण्ड, राँची	221.39
20	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची	130.66
21	आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन विभाग	65.10
22	मुख्य अभियंता, पथ निर्माण (पी.डब्ल्यू.डी.) विभाग	149.01
23	1. अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, सेक्शन IV ग्रामीण पुलिस 2. आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल राँची 3. आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग	4,372.97
24	1. महानिरीक्षक (कारा) होम गार्ड, राँची 2. आयुक्त, सिविल रक्षा, झारखण्ड 3. निबंधक, कैबिनेट (सतर्कता) विभाग, राँची 4. प्रमंडलीय आयुक्त, राजभाषा विभाग, राँची	76.58
25	उद्योग निदेशक, उद्योग एवं खनिज विभाग, झारखण्ड	23.26
26	उद्योग निदेशक, उद्योग एवं खनिज विभाग, झारखण्ड	65.57
27	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड	105.77
28	1. उप सचिव, भवन निर्माण, आवास एवं लोक कार्य निर्माण प्रमंडल विभाग, 2. मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, आवास एवं लोक कार्य निर्माण प्रमंडल विभाग	125.85
29	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड	223.17
30	सचिव, लघु सिंचाई विभाग, झारखण्ड, राँची	49.04
31	सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड, राँची	467.52
32	सचिव, कृषि अनुसंधान	10.89
कुल		25,632.56

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) झारखण्ड का कार्यालय

परिशिष्ट 2.11
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 2.6.6; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	उप-शीर्ष	मूल	2018-19 के दौरान व्यय	बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2210-01-102-21	21-कर्मचारी राज्य बीमा योजना	18.17	17.72	0.45	0.03
2	2230-01-001-01	01-श्रमायुक्त	4.69	3.36	1.33	0.23
3	2230-01-101-05	05-औद्योगिक विवाद हेतु श्रम सुलह समिति	3.44	2.80	0.64	0.05
4	2230-01-101-06	06-श्रम विधि का प्रशासन एवं प्रवर्तन	5.63	4.74	0.89	0.40
5	2230-01-101-07	07-कृषि में न्यूनतम मजदूरी विनियम का कार्यान्वयन	8.89	7.50	1.39	0.26
6	2230-01-102-01	01-स्टीम बायलर निरीक्षक	0.71	0.68	0.03	0.20
7	2230-01-102-02	02-कारखाना निरीक्षक	6.17	5.49	0.68	0.95
8	2230-01-103-01	01-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन	2.85	2.14	0.71	0.10
9	2230-03-003-05	05-मुख्यालय की स्थापना	0.41	0.40	0.01	0.05
10	2251-00-090-08	08-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	3.02	2.93	0.09	0.07
11	4250-00-203-04	04-एल.डब्ल्यू.ई. जिलों में नवयुवकों के कौशल विकास हेतु योजना	8.00	0.45	7.55	5.76
12	4250-00-203-04	04-एल.डब्ल्यू.ई. जिलों में नवयुवकों के कौशल विकास हेतु योजना	4.00	0.30	3.70	5.51
13	4250-00-796-04	04-एल.डब्ल्यू.ई. जिलों में नवयुवकों के कौशल विकास हेतु योजना	10.00	0.64	9.36	14.75
14	4250-00-796-04	04-एल.डब्ल्यू.ई. जिलों में नवयुवकों के कौशल विकास हेतु योजना	8.00	1.03	6.97	8.67
कुल			83.98	50.18	33.80	37.03

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता
(संदर्भ: कंडिका 2.6.7 ; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	सचिवालय/कार्यालय	योजनाओं की संख्या जिसके अधीन राशि अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	अभ्यर्पित
1	राँची	अवर सचिव, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग (सरकार पक्ष)	3	0.76	0.76
		सहायक निदेशक नियोजन (मु.), (प्रशिक्षण पक्ष)	2	3.82	3.82
		सहायक निदेशक नियोजन (मु.), कार्यालय निदेशालय, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग (अर्द्ध इकाई)	2	0.56	0.56
		श्रमायुक्त के सचिव,	3	0.05	0.05
		उप श्रमायुक्त (कृषि श्रम)	1	0.02	0.02
		उप श्रमायुक्त	2	0.22	0.22
		अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	3	1.42	1.42
2	धनबाद	अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	6	0.29	0.29
3	चाईबासा	श्रम अधीक्षक	2	0.06	0.06
		श्रम अधीक्षक (कृषि)	3	0.03	0.03
4	देवघर	सहायक श्रमायुक्त	2	0.08	0.08
5	सराईकेला	श्रम अधीक्षक	2	0.04	0.04
6	सिमडेगा	श्रम अधीक्षक	3	0.06	0.06
7	गढवा	श्रम अधीक्षक	3	0.10	0.10
कुल			37	7.51	7.51

परिशिष्ट 2.13

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 2.6.8 ; पृष्ठ 59)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	सचिवालय/कार्यालय	योजनाओं की संख्या जिसके अधीन राशि अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
1	राँची	अवर सचिव, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग (सरकार पक्ष)	2	4.02	3.07	0.95 (24%)	31.03.19
		सहायक निदेशक नियोजन (मु.), प्रशिक्षण पक्ष	8	24.37	13.35	11.02(45%)	31.03.19
		निदेशालय, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग (अर्द्ध इकाई)	3	3.60	1.81	1.79 (50%)	31.03.19
		श्रमायुक्त के सचिव, आई.टी.आई .हेहल	6	5.73	3.53	2.20 (38%)	31.03.19
			5	9.25	5.56	3.69 (40%)	31.03.19
		अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	5	3.63	1.74	1.89 (52%)	31.03.19
2	धनबाद	अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	3	1.31	0.17	1.14 (87%)	31.03.19
3	चाईबासा	उप श्रमायुक्त (कृषि श्रम)	3	0.94	0.55	0.39 (41%)	29.03.19
		उप श्रमायुक्त	4	2.30	1.64	0.66 (29%)	30.03.19
4	बोकारो	उप श्रमायुक्त	5	1.46	1.05	0.41 (28%)	29.03.19
5	देवघर	सहायक श्रमायुक्त	5	2.25	1.64	0.61 (27%)	30.03.19
6	सराईकेला	श्रम अधीक्षक	4	1.60	1.23	0.37 (23%)	31.03.19
7	सिमडेगा	श्रम अधीक्षक	4	1.40	0.90	0.50 (36%)	30.03.19
8	गढ़वा	श्रम अधीक्षक	3	0.72	0.16	0.56 (78%)	31.03.19
कुल			60	62.58	36.40	26.18 (42%)	

परिशिष्ट 2.14
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.6.9 ; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

जिला	सचिवालय/कार्यालय	लेखे शीर्ष योजनओं की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
राँची	सचिवालय	2230-02-789-01	0.20	0.10	50
		2235-60-200-07	13.66	6.79	50
		2230-01-796-35	0.20	0.10	50
		4059-01-001-55	1.43	0.75	52
		2235-60-789-07	1.75	1.04	59
		2235-60-796-07	12.29	7.99	65
		2230-03-796-39	5.51	4.13	75
		4250-00-796-06	0.14	0.11	78
		4250-00-796-04	1.03	0.81	79
		2230-03-003-39	3.94	3.71	94
		2230-02-101-37	0.09	0.09	100
		2230-03-789-39	2.90	2.90	100
		4059-01-796-55	0.35	0.35	100
		4250-00-203-04	0.45	0.45	100
		4250-00-203-04	0.30	0.30	100
4250-00-203-06	0.14	0.14	100		
उप-योग			44.38	29.76	67
राँची	अवर सचिव, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग (सरकार पक्ष)	3	0.20	0.10	42 से 100
	सहायक निदेशक नियोजन (मु.), प्रशिक्षण पक्ष	4	6.79	6.44	62 से 100
	प्राध्यापक, आई.टी.आई. हेहल	5	0.41	0.34	50 से 100
	अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	1	0.01	0.006	60
	ई.एस.आई. चिकित्सालय, धुर्वा	1	1.77	0.77	44
	उप श्रमायुक्त	8	1.24	1.23	46 से 100
धनबाद	प्राध्यापक, आई.टी.आई .	8	0.21	0.14	44 से 100
	अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	9	0.17	0.16	40 से 100
	सहायक श्रमायुक्त	6	1.76	1.75	71 से 100
बोकारो	प्राध्यापक, आई.टी.आई .	8	0.10	0.09	68 से 100
चाईबासा	प्राध्यापक, आई.टी.आई .	2	0.64	0.33	49 & 72
	श्रम अधीक्षक	3	1.07	1.06	46 से 100
	श्रम अधीक्षक (कृषि)	2	0.005	0.005	100
देवघर	प्राध्यापक, आई.टी.आई .	6	1.05	0.94	48 से 100
	सहायक श्रमायुक्त	2	0.99	0.99	100
	ई.एस.आई. चिकित्सालय, मधुपुर	4	0.004	0.004	100
सराईकेला	प्राध्यापक, आई.टी.आई .	4	0.76	0.50	51 से 100
	श्रम अधीक्षक	5	0.066	0.065	41 से 95
सिमडेगा	श्रम अधीक्षक	3	0.70	0.69	74 से 100
उप-योग			17.95	15.61	
सकल योग			62.33	45.37	

परिशिष्ट 2.15
विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन
(संदर्भ: कंडिका 2.6.10; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	राँची	अवर सचिव, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग. (सरकार पक्ष)	3.07	0	3.07
		सहायक निदेशक नियोजन (मु.), प्रशिक्षण पक्ष	13.35	0	13.35
		श्रमायुक्त के सचिव, उप श्रमायुक्त	4.50	0	4.50
		उप श्रमायुक्त	3.43	0	3.43
		उप श्रमायुक्त (कृषि श्रम)	1.58	0	1.58
		आई.टी.आई. (सामान्य), हेहल	5.56	5.38	0.18
2	बोकारो	ई.एस.आई. चिकित्सालय	1.33	1.13	0.20
3	धनबाद	आई.टी.आई	4.59	4.40	0.19
4	देवघर	सहायक श्रमायुक्त	1.64	0	1.64
5	सराईकेला	ई.एस.आई. चिकित्सालय	1.46	0	1.46
6	सिमडेगा	श्रम अधीक्षक	0.90	0	0.90
7	गढवा	श्रम अधीक्षक	1.80	0	1.80
कुल			43.21	10.91	32.30

परिशिष्ट 2.16
झारखण्ड गैर-संगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना
(संदर्भ: कंडिका 2.6.14; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नमूना-जांचित इकाईयाँ	आबंटन	व्यय (मृत्यु/विकलांगता की क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति, गंभीर बीमारी इत्यादि सहित)	अभ्यर्पित राशि	पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की संख्या	पी.एम.जे.जे.बी.वाई./पी.एम.एस.बी.वाई. के अधीन प्रीमियम के भुगतान हेतु एल.आई.सी. को भेजे गए आच्छादित असंगठित श्रमिकों की संख्या	पी.एम.जे.जे.बी.वाई./पी.एम.एस.बी.वाई. के अधीन आच्छादित नहीं किये गए असंगठित श्रमिकों की संख्या
1	उप श्रमायुक्त, राँची	0.50	0.21	0.29 (58%)	1,72,741	12,050	1,60,691
2	सहायक श्रमायुक्त, धनबाद	0.45	0.45	0.00	70,390	25,000	45,390
3	उप श्रमायुक्त, बोकारो	0.44	0.44	0.00	53,094	24,207	28,887
4	सहायक श्रमायुक्त, देवघर	0.42	0.23	0.19 (45%)	83,147	8,381	74,766
5	श्रम अधीक्षक, चाईबासा	0.47	0.32	0.15 (32%)	38,077	18,456	19,621
6	श्रम अधीक्षक, सराइकेला	0.40	0.31	0.09 (23%)	40,472	17,039	23,433
7	श्रम अधीक्षक, सिमडेगा	0.40	0.09	0.31 (78%)	23,576	3,686	19,890
8	श्रम अधीक्षक, गढ़वा	0.42	0.06	0.36 (86%)	23,166	3,743	19,423
कुल		3.50	2.11	1.39 (40%)	5,04,663	1,12,562 (22%)	3,92,101

परिशिष्ट 2.17
अज्ञात लाभकों को कम्बलों/कपड़ों का वितरण
(संदर्भ: कंडिका 2.6.15; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	आबंटन	व्यय	अभ्यर्पित राशि	दर प्रति कम्बल (संविदा के अनुसार) (₹ में)	कुल खरीदे गए कम्बल	उपलब्ध लाभकों की सूची	लाभकों की कमी	कमी के सापेक्ष राशि
1	उप श्रमायुक्त , राँची	1.58	1.21	0.37	229	52,777	139	52,638	1.21
2	सहायक श्रमायुक्त , धनबाद	1.70	1.70	0	244.60	69,635	30	69,605	1.70
3	उप श्रमायुक्त , बोकारो	1.90	1.90	0	297	63,982	162	63,820	1.90
4	सहायक श्रमायुक्त , देवघर	1.03	0.99	0.04	289.50	34,278	0	34,278	0.99
5	श्रम अधीक्षक, चाईबासा	1.40	1.05	0.35	229	46,019	42,026	3,993	0.09
6	श्रम अधीक्षक, सराइकेला	0.77	0.60	0.17	231	25,777	24,267	1,510	0.04
7	श्रम अधीक्षक, सिमडेगा	0.68	0.67	0.01	217	31,488	0	31,488	0.68
8	श्रम अधीक्षक, गढ़वा	1.65	1.65	0	289	56,923	3,271	53,652	1.55
कुल		10.71	9.77	0.94	2,026.10	3,80,879	69,895	3,10,984	8.16

परिशिष्ट 2.18
वर्ष 2018-19 हेतु परिहार्य अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 2.7.4; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	मुख्य शीर्ष	मूल	व्यय	अनुपूरक प्रावधान
1	3456-00-001-02	20.96	19.05	2.00
2	3456-00-001-53	12.53	8.81	0.28
3	3456-00-102-50 (केंद्र)	0.37	0.0082	1.35
4	3456-00-102-50 (राज्य)	0.37	0.0079	1.35
5	3456-00-102-58	0.00	0.00	0.063
6	3456-00-789-50 (केंद्र)	0.13	0.00	0.49
7	3456-00-789-50 (राज्य)	0.13	0.00	0.49
8	3456-00-789-51	29.12	23.71	5.00
9	3456-00-789-58	0.00	0.00	0.063
10	3456-00-796-50 (केंद्र)	0.50	0.33	1.90
11	3456-00-796-50 (राज्य)	0.50	0.33	1.90
12	3456-00-796-58	0.00	0.00	0.15
13	3456-00-796-59	0.00	0.00	0.38
14	3475-00-106-08	3.52	3.02	0.01
15	3475-00-106-09	0.00	0.00	2.50
कुल		68.13	55.2661	17.93

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.19
अधिकाई राशि का प्रावधान प्रदर्शित करने वाले विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.7.4; पृष्ठ 66)

(₹ लाख में)

जिला	योजना	शीर्ष	पत्र संख्या	तिथि	शीर्ष-वार आबंटन	कुल आबंटन	कुल व्यय	31.03.2019 को अभ्यर्पण	परिहार्य अनुपूरक अनुदान
रामगढ़	पी.एच.एच. (एस.सी.एस.पी.)	मूल	3,672	08.11.2018	145.43	290.86	16.06	274.79	145.43
		अनुपूरक-I	1,396	07.05.2018	145.43				
	अन्तोदय (एस.सी.एस.पी.)	मूल	3,671	08.11.2018	57.65	115.3	4.67	110.64	57.65
		अनुपूरक-I	1,463	14.05.2018	57.65				
	पी.टी.जी. डाकिया (ओ.एस.पी.)	मूल	1,514	17.05.2018	0.25	1.16	0.17	0.99	0.91
		अनुपूरक-I	3,899	10.12.2018	0.91				
कुल					407.32	407.32	20.9	386.42	203.99
दुमका	आयोडीन नमक (टी.एस.पी.)	मूल	411	05.02.2019	4.07	7.04	3.29	3.75	2.97
		अनुपूरक-I	595	18.02.2019	2.97				
		कुल							
धनबाद	पी.एच.एच. (एस.सी.एस.पी.)	मूल	1,396	07.05.2018	514.19	1,028.38	464.09	564.3	514.19
		अनुपूरक-I	3,672	08.11.2018	514.19				
	आयोडीन नमक (एस.सी.एस.पी.)	मूल	411	05.02.2019	1.33	2.65	0.00	2.65	1.32
		अनुपूरक-I	595	18.02.2019	1.32				
	कुल					1,031.03	1,038.07	467.38	570.70
गिरिडीह	पी.टी.जी. डाकिया योजना (ओ.एस.पी.)	मूल	1,514	17.05.2018	0.28	0.56	0.07	0.49	0.28
		अनुपूरक-I	3,900	10.12.2018	0.28				
	पी.टी.जी. डाकिया योजना	मूल	1,514	17.05.2018	0.16	0.32	0.03	0.28	0.16

	(एस.सी.एस.पी.)	अनुपूरक-I	3,900	10.12.2018	0.16				
	मशीन एवं उपकरण	मूल	1,825	11.06.2018	0.10	1.10	0.09	1.00	1.00
		अनुपूरक-I	2,530	03.08.2018	1.00				
		कुल				1.98	1.98	0.19	1.77
हजारीबाग	पी.एच.एच. (ओ.एस.पी.)	मूल	1,396	07.05.2018	1,097.68				
		अनुपूरक-I	3,672	08.11.2018	1,097.68	2,210.81	2,096.85	113.96	15.45
		अनुपूरक-II	593	18.02.2019	15.45				
		कुल			2,210.81	2,210.81	2,096.85		15.45
		सकल योग							

परिशिष्ट 2.20

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को इकाई-वार राशि की अभ्यर्पित प्रतिवेदन

(संदर्भ : कंडिका 2.7.5; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं..	जिला आपूर्ति पदाधिकारी का नाम	अभ्यर्पण की तिथि	अभ्यर्पित राशि
1.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ	31.03.19	4.65
2.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर	31.03.19	8.34
3.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला	31.03.19	1.54
4.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका	31.03.19	2.87
5.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग	30.03.19	2.51
6.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची	31.03.19	45.46
7.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद	31.03.19	7.56
8.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह	31.03.19	8.13
9	SRO, धनबाद	30.03.19	0.06
10	निदेशालय, खाद्य, पी.डी.एस. एवं उपभोक्ता मामले, राँची	30.03.19	24.35
कुल			105.47

परिशिष्ट 2.21
मार्च 2019 में उप-शीर्ष वार व्यय
(संदर्भ : कंडिका 2.7.6 ; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2018-19 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2019 में व्यय	मार्च 2019 में व्यय की प्रतिशतता
1.	3456-00-102-03	0.85	0.84	98.82
2.	3456-00-789-03	0.27	0.27	100.00
3.	3456-00-796-03	1.04	1.00	96.15
4.	4408-02-796-02	2.50	1.50	60.00
5.	3456-00-102-48	4.98	4.60	92.37
6.	3456-00-789-48	1.69	1.56	92.31
7.	3456-00-796-48	6.54	6.05	92.51
8.	3456-00-796-50	0.33	0.33	100.00
9.	3456-00-796-50	0.33	0.33	100.00
10.	4408-02-101-01	0.97	0.69	71.13
11.	3456-00-102-52	10.00	10.00	100.00
12.	3456-00-789-52	5.00	5.00	100.00
13.	3456-00-796-52	15.00	15.00	100.00
14.	3456-00-102-51	115.09	30.20	26.24
15.	3456-00-789-20	0.25	0.08	32.00

परिशिष्ट 2.22

मार्च 2019 में डी.डी.ओ.-वार एवं योजना-वार व्यय का वेग

(संदर्भ : कंडिका 2.7.6; पृष्ठ 66)

(₹ लाख में)

डी.डी.ओ. के नाम	योजना का नाम	कुल व्यय (2018-19)	मार्च 2019 में व्यय	व्यय का वेग (प्रतिशत में)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची	3456- पी.एच.एच. (टी.एस.पी.)	2,776.14	938.75	33.82
	3456-पी.टी.जी. डाकिया (टी.एस.पी.)	1.24	1.24	100.00
	3456-अन्नपूर्णा अन्न योजना (टी.एस.पी.)	0.40	0.40	100.00
	3456-नमक वितरण (टी.एस.पी.)	1.28	1.28	100.00
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह	3456-पी.टी.जी. डाकिया (ओ.एस.पी.)	0.07	0.07	100.00
	3456-पी.टी.जी. डाकिया (एस.सी.एस.पी.)	0.03	0.03	100.00
	3456-नमक वितरण योजना (ओ.एस.पी.)	4.71	4.71	65.93
	3456-नमक वितरण योजना (एस.सी.एस.पी.)	1.58	1.58	63.48
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग	3456-कम्प्यूटरीकरण (सामान्य)	5.99	2.13	35.51
	3456-पी.टी.जी. डाकिया (ओ.एस.पी.)	1.84	0.63	34.51
	3456-आयोडीन नमक (ओ.एस.पी.)	5.40	5.40	100.00
	3456- अन्नपूर्णा योजना (ओ.एस.पी.)	0.15	0.15	100.00
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर	3456-मुख्यमंत्री दाल भात योजना (टी.एस.पी.)	67.38	23.37	34.68
निदेशालय, राँची	3456-मुद्रण (एस.सी.एस.पी.)	24.79	8.46	34.15
	3456-नमक वितरण (टी.एस.पी.)	635.26	590.00	92.87
	3456-नमक वितरण (ओ.एस.पी.)	481.89	444.80	92.30
	3456-नमक वितरण (एस.सी.एस.पी.)	167.32	154.42	92.29
	3456-अन्नपूर्णा अन्न योजना (टी.एस.पी.)	99.44	99.44	100.00
	3456-अन्नपूर्णा अन्न योजना (ओ.एस.पी.)	84.10	84.10	100.00
	3456-अन्नपूर्णा अन्न योजना(एस.सी.एस.पी.)	27.42	27.42	100.00
	3456-प्रचार प्रसार (टी.एस.पी.)	7.94	4.50	56.70

परिशिष्ट 2.2.3

डी.डी.ओ. के व्यय की असमाशोधित राशि

(संदर्भ : कंडिका 2.7.7; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय	शीर्ष	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	गुमला	जिला उपभोक्ता फोरम गुमला	3456-स्थापना	0.25	0	0.25
		जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला	3456-योजना	21.27	0	21.27
			3456-स्थापना	0.73	0	0.73
2	हजारीबाग	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग	3456-योजना	38.58	0	38.58
			3456-स्थापना	1.09	0	1.09
		जिला उपभोक्ता फोरम, हजारीबाग	3456-स्थापना	0.47	0	0.47
3	दुमका	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका	3456-योजना	29.95	0	29.95
			3456-स्थापना	0.31	0	0.31
		सहायक कृषि निदेशक, दुमका	3456-स्थापना	0.52	0	0.52
		सहायक नियंत्रक, डब्ल्यू. एवं एम. दुमका	3456-स्थापना	0.05	0	0.05
		जिला उपभोक्ता फोरम, दुमका	3456-स्थापना	0.45	0	0.45
4	राँची	सचिव, झारखण्ड राज्य उपभोक्ता आयोग, राँची	3456-स्थापना	1.15	0	1.15
		संयुक्त निदेशक कृषि, राँची	3456-स्थापना	0.30	0	0.30
		जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची	4408-पूँजी	28.35	0	28.35
			3456-योजना	42.62	0	42.62
			3456-स्थापना	0.42	0	0.42
		उप निदेशक कृषि, राँची	3456-स्थापना	0.63	0	0.63
		विशिष्ट राशननिंग पदाधिकारी, राँची	3456-स्थापना	1.93	0	1.93
जिला उपभोक्ता फोरम, राँची	3456-स्थापना	0.52	0	0.52		
5	गिरिडीह	जिला उपभोक्ता फोरम, गिरिडीह	3456-स्थापना	0.36	0	0.36
		सहायक नियंत्रक, डब्ल्यू. एवं एम. गिरिडीह	3456-स्थापना	0.15	0	0.15
		जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह	3456-योजना	48.38	0	48.38
			3456-स्थापना	0.98	0	0.98
6	धनबाद	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद	3456-योजना	43.43	0	43.43
			3456-स्थापना	0.83	0	0.83
		जिला उपभोक्ता फोरम, धनबाद	3456-स्थापना	0.48	0	0.48
		विशिष्ट राशननिंग पदाधिकारी, धनबाद	3456-स्थापना	0.90	0	0.90
		सहायक नियंत्रक, डब्ल्यू. एवं एम. धनबाद	3456-स्थापना	0.32	0	0.32
7	जमशेदपुर	विशिष्ट राशननिंग पदाधिकारी जमशेदपुर	3456-स्थापना	1.38	0	1.38
		जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर	3456-योजना	39.74	0	39.74
			3456-स्थापना	0.61	0	0.61
8	रामगढ	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ	3456-योजना	12.05	0	12.05
			3456-स्थापना	0.63	0	0.63
कुल				319.83		319.83

परिशिष्ट 2.24
विभिन्न शीर्षों में सम्पूर्ण बजट का अभ्यर्पण
(संदर्भ : कंडिका 2.7.8 ; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय	अभ्यर्पण
1	3456-00-102-17	4.53	0.00	4.53	0.00	4.53
	3456-00-789-17	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59
	3456-00-796-17	6.13	0.00	6.13	0.00	6.13
2	3456-00-796-46	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
3	3475-00-796-08	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35
	3475-00-106-10	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21
	3475-00-789-08	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11
4	3456-00-796-54	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06
	3456-00-789-54	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
	3456-00-102-54	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
5	3456-00-102-43	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70
	3456-00-789-43	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30
	3456-00-796-43	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
6	3456-00-102-44	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40
	3456-00-789-44	2.60	0.00	2.6	0.00	2.60
	3456-00-796-44	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
7	3456-00-789-41	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25
8	4408-02-789-35	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90
9	3456-00-789-50	0.13	0.49	0.62	0.00	0.62
	3456-00-789-50	0.13	0.49	0.62	0.00	0.62
10	3456-00-789-58	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06
	3456-00-796-58	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15
	3456-00-102-58	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06
11	3456-00-796-59	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38
12	3456-00-106-09	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50
कुल		47.44	4.13	51.57	0.00	51.57

परिशिष्ट 2.25
सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्षण
(संदर्भ : कंडिका 2.7.8 ; पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	डी.डी.ओ. का नाम	योजना	कुल आबंटन	कुल व्यय	30/31.03.19 को अभ्यर्षण
1	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ	पी.टी.जी. डाकिया (ओ.एस.पी.)	0.46	0.00	0.46
		आयोडीन नमक (ओ.एस.पी.)	2.25	0.00	2.25
		आयोडीन नमक (एस.सी.एस.पी.)	0.79	0.00	0.79
		किरोसिन तेल (ओ.एस.पी.)	17.46	0.00	17.46
		किरोसिन तेल (एस.सी.एस.पी.)	6.05	0.00	6.05
		अन्नपूर्णा योजना (ओ.एस.पी.)	0.99	0.00	0.99
		अन्नपूर्णा योजना (एस.सी.एस.पी.)	0.32	0.00	0.32
		टेलीफोन (स्थापना)	0.08	0.00	0.08
		पोशाक (स्थापना)	0.05	0.00	0.05
		मशीन एवं उपकरण (स्थापना)	0.10	0.00	0.10
		एल.टी.सी. (स्थापना)	0.12	0.00	0.12
	कुल	28.67	0.00	28.67	
2	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद	मुख्यमंत्री दाल भात योजना (एस.सी.एस.पी.)	36.83	0.00	36.83
		अन्नपूर्णा योजना (एस.सी.एस.पी.)	0.66	0.00	0.66
		नमक वितरण योजना (एस.सी.एस.पी.)	2.65	0.00	2.65
		उज्ज्वला (ओ.एस.पी.)	7.68	0.00	7.68
		उज्ज्वला (एस.सी.एस.पी.)	2.32	0.00	2.32
		किरोसिन तेल अनुदान (ओ.एस.पी.)	46.38	0.00	46.38
		किरोसिन तेल अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	16.08	0.00	16.08
		मुद्रण (ओ.एस.पी.)	3.00	0.00	3.00
		मुद्रण (एस.सी.एस.पी.)	1.32	0.00	1.32
	कुल	116.92	0.00	116.92	
3	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग	आयोडीन नमक (एस.सी.एस.पी.)	1.93	0.00	1.93
		अन्नपूर्णा योजना (एस.सी.एस.पी.)	0.66	0.00	0.66
		किरोसिन तेल (ओ.एस.पी.)	38.00	0.00	38.00
		किरोसिन तेल (एस.सी.एस.पी.)	13.18	0.00	13.18
		कौशल विकास योजना (ओ.एस.पी.)	10.75	0.00	10.75
		कौशल विकास योजना (एस.सी.एस.पी.)	3.25	0.00	3.25
	कुल	67.77	0.00	67.77	
4	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका	अन्नपूर्णा योजना (टी.एस.पी.)	2.16	0.00	2.16
		उज्ज्वला (टी.एस.पी.)	10.00	0.00	10.00
		किरोसिन तेल अनुदान (ओ.एस.पी.)	40.32	0.00	40.32
		टेलीफोन (स्थापना)	0.08	0.00	0.08
		पोशाक (स्थापना)	0.05	0.00	0.05
	कुल	52.61	0.00	52.61	

क्र.सं.	डी.डी.ओ. का नाम	योजना	कुल आबंटन	कुल व्यय	30/31.03.19 को अभ्यर्पण
5	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला	किरोसिन तेल (टी.एस.पी.)	26.64	0.00	26.64
		अन्नपूर्णा योजना (टी.एस.पी.)	1.67	0.00	1.67
		टेलीफोन (स्थापना)	0.08	0.00	0.08
		कुल	28.39	0.00	28.39
6	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर	पी.डी.एस.सिस्टम का कम्प्यूटरीकरण (केंद्र) टी.एस.पी.	1.45	0.00	1.45
		पी.डी.एस.सिस्टम का कम्प्यूटरीकरण (राज्य) टी.एस.पी.	1.45	0.00	1.45
		किरोसिन तेल (टी.एस.पी.)	68.22	0.00	68.22
		मशीन एवं उपकरण (स्थापना)	0.10	0.00	0.10
		टेलीफोन (स्थापना)	0.08	0.00	0.08
		कुल	71.30	0.00	71.30
7	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह	अन्नपूर्णा योजना (ओ.एस.पी.)	2.83	0.00	2.83
		अन्नपूर्णा योजना (एस.सी.एस.पी.)	0.92	0.00	0.92
		कौशल विकास प्रचार प्रसार सेमिनार (ओ.एस.पी.)	13.05	0.00	13.05
		कौशल विकास प्रचार प्रसार सेमिनार (एस.सी.एस.पी.)	3.95	0.00	3.95
		किरोसिन तेल अनुदान (ओ.एस.पी.)	48.25	0.00	48.25
		किरोसिन तेल अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	16.73	0.00	16.73
		कुल	85.73		85.73
8	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची	निर्वाचन	1.00	0.00	1.00
		किरोसिन तेल आयोग (टी.एस.पी.)	733.38	0.00	733.38
		कौशल विकास योजना (टी.एस.पी.)	16.00	0.00	16.00
		टेलीफोन (टी.एस.पी.)	0.08	0.00	0.08
		पोशाक (टी.एस.पी.)	0.05	0.00	0.05
		मशीन एवं उपकरण (टी.एस.पी.)	0.10	0.00	0.10
		कुल	750.61	0.00	750.61
9	निदेशालय	गैर परिसम्पतियां राज्य खाद्य आयोग (टी.एस.पी.)	37.50	0.00	37.50
सकल योग			1,239.50		1,239.50

परिशिष्ट 3.1
31 मार्च 2019 को बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र
(संदर्भ : कंडिका 3.1; पृष्ठ 69)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2017-18 तक (2016-17 तक संस्वीकृत सहायता अनुदान)		2018-19 के दौरान (2017-18 के दौरान संस्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	839	486.04	106	30.67	945	516.71
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	646	616.37	312	634.28	958	1,250.65
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	89	1,622.14	212	3,150.65	301	4,772.79
कल्याण	7,743	1,837.67	971	234.17	8,714	2,071.84
भू राजस्व	1	0.21	2	6.78	3	6.99
मानव संसाधन	2,218	8,066.45	902	3,715.13	3,120	11,781.58
नगर विकास	6,055	8,299.18	876	3,933.53	6,931	12,232.71
अन्य	3,421	12,905.61	838	7,840.12	4,259	20,745.73
कुल	21,012	33,833.67	4,219	19,545.33	25,231	53,379.00

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा संधारित अभिलेखों के अनुसार

परिशिष्ट 3.2

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित
लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 71)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	दिसम्बर 2019
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम	अगस्त 2015
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2011-12
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी	अक्टूबर 2016
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2008-09
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सरायकेला खरसावाँ	2013-14
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पश्चिमी सिंहभूम	2018-19
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
25	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
26	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	दिसम्बर 2015
27	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
28	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2016-17
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2016-17
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	अक्टूबर 2011
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	2016-17
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	मेदिनीनगर	सितम्बर 2015
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2015-16
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
49	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण सोसाइटी, राँची	राँची	2015-16
50	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2002-03 (निष्पादन लेखापरीक्षा)
51	शिक्षा	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2014-15
52	शिक्षा व अनुसंधान	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2004-05
53	विज्ञान व प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2006-07
54	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
55	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची	राँची	2014-15
56	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद	राँची	2016-17
57	वन	मुख्य कार्यकारी निदेशक, वेस्ट लैंड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	प्रतिष्ठापन से लेखापरीक्षा नहीं
58	वन	कैम्पा	राँची	-वही-
59	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	-वही-
60	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2015-16
61	प्रशासन	झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची	राँची	10/2013
62	सूचना एवं जन संपर्क	राज्य सूचना आयोग	राँची	12/2016
63	कला एवं संस्कृति	झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद्	राँची	प्रतिष्ठापन से लेखापरीक्षा नहीं
64	प्रशासन	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग	राँची	01/2017
65	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
66	ऊर्जा	झारखण्ड रेन्युएबल ऊर्जा विकास एजेंसी	राँची	2015-16
67	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा प्रोजेक्ट परिषद्, राँची	राँची	2015-16
68	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय	नेतरहाट	नवम्बर 2016
69	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
70	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 3.3
शीर्ष-वार बकाया डी.सी. विपत्र के ब्यौरे
(संदर्भ : कंडिका 3.3; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्ष		2000-16	2016-17	2017-18	2018-19	सकल योग
आहरित ए.सी. विपत्र	2230	ए.सी. विपत्र की सं.	604	6	7	2	619
		ए.सी. राशि	140.42	0.80	0.60	1.02	142.84
	2235	ए.सी. विपत्र की सं.	45	0	0	0	45
		ए.सी. राशि	4.85	0.00	0.00	0.00	4.85
	2251	ए.सी. विपत्र की सं.	23	0	0	0	23
		ए.सी. राशि	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
	3451	ए.सी. विपत्र की सं.	43	0	0	0	43
		ए.सी. राशि	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
	3456	ए.सी. विपत्र की सं.	660	7	0	1	668
		ए.सी. राशि	210.70	159.44	0.00	0.10	370.24
	4059	ए.सी. विपत्र की सं.	2	0	0	0	2
		ए.सी. राशि	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
	4250	ए.सी. विपत्र की सं.	3	7	0	0	10
		ए.सी. राशि	1.40	3.45	0.00	0.00	4.85
कुल	ए.सी. विपत्र की सं.	1,380	20	7	3	1,410	
	ए.सी. राशि	358.62	163.69	0.60	1.12	524.03	
समर्पित डी.सी. विपत्र	2230	डी.सी. विपत्र की सं.	300	3	1	0	304
		डी.सी. राशि	85.36	0.79	0.10	0.00	86.25
	2235	डी.सी. विपत्र की सं.	13	0	0	0	13
		डी.सी. राशि	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89
	2251	डी.सी. विपत्र की सं.	15	0	0	0	15
		डी.सी. राशि	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
	3451	डी.सी. विपत्र की सं.	27	0	0	0	27
		डी.सी. राशि	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
	3456	डी.सी. विपत्र की सं.	219	3	0	0	222
		डी.सी. राशि	135.81	89.73	0.00	0.00	225.54
	4059	डी.सी. विपत्र की सं.	1	0	0	0	1
		डी.सी. राशि	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
	4250	डी.सी. विपत्र की सं.	1	0	0	0	1
		डी.सी. राशि	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
कुल	डी.सी. विपत्र की सं.	576	6	1	0	583	
	डी.सी. राशि	225.47	90.52	0.10	0.00	316.09	
बकाया	डी.सी. विपत्र की सं.	804	14	6	3	827	
	डी.सी. राशि	133.15	73.17	0.50	1.12	207.94	
बकाया राशि की प्रतिशतता			37.13	44.70	83.33	100.00	39.68

परिशिष्ट 3.4
जिला-वार बकाया डी.सी. विपत्र
(संदर्भ : कंडिका 3.3; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिलों के नाम	इकाईओं की संख्या	ए.सी. विपत्र पर आहरित राशि	सौंपे गये डी.सी.विपत्र की राशि	बकाया डी.सी.विपत्र की राशि
1	राँची	6	194.65	149.35	45.30
2	धनबाद	1	0.10	0.00	0.10
3	चाईबासा	2	0.05	0.00	0.05
4	बोकारो	1	0.39	0.00	0.39
5	देवघर	2	0.08	0.03	0.05
6	सिमडेगा	1	0.28	0.21	0.07
7	गुमला	1	0.19	0.06	0.13
8	जमशेदपुर	1	4.17	0.00	4.17
9	हजारीबाग	2	6.04	3.86	2.18
	कुल	17	205.95	153.51	52.44

परिशिष्ट 3.5

डी.डी.ओ. द्वारा डी.सी. विपत्रों के विलम्ब प्रस्तुतीकरण को प्रदर्शित करने वाले विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.3.1; पृष्ठ 76)

क्र. स.	कार्यालय का नाम	डी.सी. विपत्रों की संख्या	डी.सी. विपत्र की राशि (₹ करोड़ में)	विलम्ब की अवधि	ए.सी. विपत्र की राशि के आहरण की अवधि
1	निदेशक, खाद्य, जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले, धुर्वा, राँची	4	35.83	01 वर्ष 9 महीना 10 दिन to 03 वर्ष 08 महीना 09 दिन	2013-14 से 2016-17
2	नजारत, उप समाहर्ता, राँची	6	5.91	10 महीना 19 दिन	2011-12
3	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद	17	9.39	03 वर्ष 01 महीना 16 दिन से 04 वर्ष 03 महीना 07 दिन	2003-04 से 2011-12
4	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह	5	3.45	04 महीना 22 दिन से 03 वर्ष 04 महीना 28 दिन	2010-11 से 2011-12
5	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका	1	0.14	01 वर्ष 03 महीना 12 दिन	2011-12
6	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला	5	0.32	03 महीना 10 दिन से 05 वर्ष 04 महीना 02 दिन	2003-04 से 2011-12
7	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग	15	5.63	05 महीना 09 दिन से 06 वर्ष 03 महीना 08 दिन	2003-04 से 2011-12
Total			60.67		

परिशिष्ट 3.6

डी. सी. विपत्रों का विलम्ब प्रस्तुतीकरण (अनुदान 26 के अंतर्गत चयनित जिला)
(संदर्भ : कंडिका 3.3.1; पृष्ठ 76)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	कार्यालय का नाम	ईकाई की सं.	समायोजित डी.सी. विपत्र की संख्या (विलम्ब सहित)	डी.सी. विपत्र की राशि (विलम्ब सहित)	विलम्ब की अवधि	ए.सी. विपत्र राशि आहरण की अवधि
1	धनबाद	1	1	0.01	6 महीना	2013-14
2	चाईबासा	1	4	0.26	12 दिन से 1 वर्ष 1 महीना 19 दिन	2012-13 से 2015-16
3	बोकारो	1	7	0.33	29 दिन से 1 वर्ष 7 महीना 16 दिन	2007-08 से 2015-16
4	देवघर	1	4	0.03	6 वर्ष 5 महीना 15 दिन से 11 वर्ष 9 महीना 15 दिन	2005-06 से 2007-08
5	सिमडेगा	1	2	0.08	4 महीना 2 दिन से 4 वर्ष 2 महीना 21 दिन	2009-10 एवं 2013-14
6	राँची	8	29	20.26	26 दिन से 16 वर्ष 8 महीना 4 दिन	2001-02 से 2017-18
7	सराइकेला	1	5	0.26	13 दिन से 5 वर्ष 11 महीना 27 दिन	2011-12 से 2015-16
दुल		14	52	21.23		

(स्रोत : भी.एल.सी. डाटाबेस, कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक्र.) झारखण्ड, राँची)

परिशिष्ट 3.7

तीन वर्षों से अधिक समय तक पी. एल. खाते में रखी गयी राशि
(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 78)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	आबंटन	31.03.2019 को अंत शेष	विगत तीन वर्षों से अधिक समय तक पी.एल.ए. में रखी गयी राशि
1	जिला परिषद्, गोड्डा	27.70	22.41	3.95
2	जिला परिषद्, साहिबगंज	13.71	13.71	0.65
3	जिला परिषद्, सिमडेगा	3.26	3.21	88.91
4	जिला परिषद्, चतरा	34.12	18.32	3.82
5	जिला परिषद्, गढ़वा	45.77	26.65	9.81
6	जिला परिषद्, लोहरदगा	9.44	9.29	0.06
7	जिला परिषद्, दुमका	3.29	3.29	3.29
8	जिला परिषद्, पाकुड़	5.47	3.30	0.81
9	झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास कॉरपोरेशन राँची	421.39	206.54	248.10
10	झारखण्ड कौशल विकास मिशन	6.00	6.00	6.00
कुल		570.15	312.72	365.39

*चयनित योजनाओं जिसमें तीन वर्षों से अधिक समय तक पी.एल. खाते में राशि रखी गयी, के अंतर्गत शेष

परिशिष्ट 3.8
लघु-शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत व्यय	कॉलम 4 से कॉलम 5 का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2053	जिला प्रशासन	695.81	129.66	18.64
2	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	54.66	37.37	68.37
3	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.13	1.32	31.86
4	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	709.17	336.48	47.45
5	6801	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	1,413.09	586.75	41.52
कुल			2,876.86	1,091.58	

परिशिष्ट 3.9

लघु-शीर्ष '800-अन्य व्यय' (30 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष - 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कॉलम 4 से कॉलम 5 का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0220	सूचना एवं प्रचार	0.01	0.01	100.00
2	0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	100.00
3	0702	लघु सिंचाई	3.27	3.27	100.00
4	0801	ऊर्जा	42.47	42.47	100.00
5	0059	लोक निर्माण	9.55	9.55	99.98
6	0701	मध्यम सिंचाई	21.05	20.96	99.57
7	0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	8.45	8.34	98.70
8	0057	आपूर्ति एवं निपटान	0.09	0.09	95.66
9	1054	सड़कें एवं पुल	143.31	124.37	86.78
10	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	27.05	18.54	68.54
11	0425	सहकारिता	1.64	1.05	64.02
12	1055	सड़क परिवहन	0.01	0.01	58.18
13	0023	होटल प्राप्तियाँ कर	0.00	0.00	44.16
14	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	69.91	27.57	39.44
15	0041	वाहनों पर कर	863.94	303.56	35.14
16	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	14.79	5.18	35.02
17	0071	पेंशन के संबंध में अंशदान और वसूली	5.55	1.86	33.51
18	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	47.20	14.72	31.19
कुल			1,258.29	581.55	46.22

परिशिष्ट 4.1
प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व)/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिशील ब्याज दायित्वों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूर्ण करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिशील ब्याज के भार और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके तो ऋण धारणीयता और भी सुगम हो सकेगा।

परिशिष्ट - 4.1 जारी..

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

परिशिष्ट - 4.1 जारी..

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदग्राहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्रत्यर्पणों की स्वीकृति को लेखापरीक्षा पदाधिकारी और/या लेखा पदाधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करना है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति। की जाँच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर